

कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता), कोटा

क्रमांक: सहायता/बाढ/2024/1324

दिनांक 29/11/2024

प्रशासनिक स्वीकृति

मानसून वर्ष 2024 में अत्यधिक वर्षा/बाढ के कारण क्षतिग्रस्त विद्यालय/चिकित्सा/आंगनवाडी/पंचायत भवनों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु पत्रांक 1146 दिनांक 01.10.2024 द्वारा उपखण्ड स्तरीय कमेटी की अनुशंसा सहित प्राप्ता प्रस्ताव पर संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर की स्वीकृति क्रमांक एफ-8(28) आ.प्र. एवं सहा./बाढ/प्रस्ताव/2024/राजकाज 12007880 जयपुर दिनांक 26.11.2024 के क्रम में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान इटावा तह. पीपल्दा के 100 कार्य हेतु राशि रुपये 200.00 लाख की तात्कालिक मरम्मत राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से कराने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	तहसील	क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का प्रकार	क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का प्रकार	एसडीआरएफ मापदण्डों के अनुसार दर राशि	एसडीआरएफ मद से मरम्मत योग्य राशि लाखों में
1	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय छत्रपुरा अयाना	2.00	2.00
2	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अयाना	2.00	2.00
3	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय अयाना	2.00	2.00
4	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय प्राथमिक विद्यालय माटोली	2.00	2.00
5	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अयानी	2.00	2.00
6	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कांकरा	2.00	2.00
7	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दूधली	2.00	2.00
8	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय प्राथमिक विद्यालय प्रेमपुरा	2.00	2.00
9	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ककरावदा	2.00	2.00
10	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नीमसरा	2.00	2.00
11	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय करवाड	2.00	2.00
12	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खैरदा	2.00	2.00
13	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय देवपुरा	2.00	2.00
14	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मीपुरा द्वितीय	2.00	2.00

15	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय शोभागपुरा	2.00	2.00
16	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केथोदा	2.00	2.00
17	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय देलोद	2.00	2.00
18	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय प्राथमिक विद्यालय नयागांव	2.00	2.00
19	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खातोली	2.00	2.00
20	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खातोली	2.00	2.00
21	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय खातोली	2.00	2.00
22	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कजलिया	2.00	2.00
23	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खेडली बोरदा	2.00	2.00
24	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पीपल्दा खुर्द	2.00	2.00
25	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गणेशगंज	2.00	2.00
26	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय प्राथमिक विद्यालय गोणदी	2.00	2.00
27	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कीरपुरिया गेंता	2.00	2.00
28	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गेंता	2.00	2.00
29	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय गेंता	2.00	2.00
30	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जटवाडा	2.00	2.00
31	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जटवाडी	2.00	2.00
32	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लाखनी	2.00	2.00
33	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खेडली महाराजा	2.00	2.00
34	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टीपरी कातीरिंध	2.00	2.00
35	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय प्राथमिक विद्यालय कोलाना टीपरी कातीरिंध	2.00	2.00

36	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दोलतपुरा	2.00	2.00
37	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोरावरपुरा	2.00	2.00
38	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय प्राथमिक विद्यालय बीरोदा	2.00	2.00
39	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भवानीपुरा	2.00	2.00
40	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेडली बेरिसाल	2.00	2.00
41	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डुंगरली	2.00	2.00
42	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मोरखुन्दना	2.00	2.00
43	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डीपरी चम्बल	2.00	2.00
44	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय वरनाहाली	2.00	2.00
45	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय प्राथमिक विद्यालय छत्रपुरा	2.00	2.00
46	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तलाव	2.00	2.00
47	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय प्राथमिक विद्यालय देवखेडली	2.00	2.00
48	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दुर्जनपुरा	2.00	2.00
49	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इटावा	2.00	2.00
50	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय इटावा (MGGS)	2.00	2.00
51	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गुमानपुरा	2.00	2.00
52	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय इटावा प्रथम	2.00	2.00
53	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय इटावा द्वितीय	2.00	2.00
54	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय वाड 21 इटावा	2.00	2.00
55	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खोडावदा	2.00	2.00
56	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अचलगढ	2.00	2.00

57	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गोठडाकलां	2.00	2.00
58	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय निमोला	2.00	2.00
59	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निमोला	2.00	2.00
60	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बैजपुर	2.00	2.00
61	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खरवन	2.00	2.00
62	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय डडवाडा	2.00	2.00
63	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय प्राथमिक विद्यालय खेडलीनोनेरा	2.00	2.00
64	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नोनेरा	2.00	2.00
65	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पीपल्दाकला	2.00	2.00
66	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उन्मेदपरा	2.00	2.00
67	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कीरपरा	2.00	2.00
68	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बम्बलियाकलां	2.00	2.00
69	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हवोखेडली	2.00	2.00
70	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उदयपरा	2.00	2.00
71	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ठीकरदा	2.00	2.00
72	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बागली	2.00	2.00
73	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय प्राथमिक विद्यालय छपोल	2.00	2.00
74	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय डोरली	2.00	2.00
75	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नलावता	2.00	2.00
76	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिनायका	2.00	2.00
77	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय प्राथमिक विद्यालय बिनायका	2.00	2.00
78	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भगेना	2.00	2.00
79	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बोरदा	2.00	2.00
80	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सनमानपरा	2.00	2.00
81	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय प्राथमिक विद्यालय किरानपरा	2.00	2.00
82	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रजोपा	2.00	2.00
83	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रामपुरिया	2.00	2.00

84	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हथोली	2.00	2.00
85	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय प्राथमिक विद्यालय बिजावता	2.00	2.00
86	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मंडली	2.00	2.00
87	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रनोदिया	2.00	2.00
88	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय प्राथमिक विद्यालय अरनिया	2.00	2.00
89	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कंवल्दा	2.00	2.00
90	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मीपुरा	2.00	2.00
91	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय विजयपुरा	2.00	2.00
92	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अमरपुरा	2.00	2.00
93	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गणेशपुरा	2.00	2.00
94	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय प्राथमिक विद्यालय कंवरपुरा	2.00	2.00
95	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय प्राथमिक विद्यालय ध्यावदा	2.00	2.00
96	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रोण	2.00	2.00
97	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 'शहनावदा	2.00	2.00
98	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रामगंज	2.00	2.00
99	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय प्राथमिक विद्यालय रोडगंज(हरिपुरा)	2.00	2.00
100	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सीनोता	2.00	2.00
				200.00	200.00

कार्य कराने में निम्न शर्तों की पालना की जावे :-

1. उक्त कार्य को करवाने के लिए उपखण्ड स्तरीय कमेटी द्वारा अनुशंखा की है।
2. कार्यकारी एजेंन्सी की वित्तीय शक्तिया PWD & AR के अनुसार मान्य होगी।
3. विभाग द्वारा राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नोर्म्स अनुसार किया है अतः संबंधित विभाग उन दरों से अधिक राशि का उपयोग भवनों की मरम्मत पर न करें।
4. उक्त कार्य SDRF/NDRF के नियमों तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी की गये दिशा निर्देशों एवं मापदण्डों की अक्षरशः पालना करते हुए कराया जावे।
5. ये सम्पत्तिया जो Defect Liability Period के तहत आती है, उनकी मरम्मत एसडीआरएफ से देय नहीं है।
6. कार्य उपखण्ड स्तरीय कमेटी से अनुमत होने आवश्यक है।
7. कराये गये कार्य का भुगतान के लिए इस कार्यालय में बिल प्रस्तुत करने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। इसी वित्तीय वर्ष में भुगतान किया जाना है जिसके लिए समय पर बिल प्रस्तुत करें। अन्यथा वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर भुगतान संबंधित एजेंन्सी को अपने विभागीय मद से करना होगा।

8. कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व यह सुनिश्चित करले कि उनके पास उपलब्ध राज्य मद में मरम्मत एवं संधारण हेतु प्रावधित राशि का उपयोग लिये जाने के उपरान्त ही एसडीआरएफ मद की राशि को उपयोग में लिया जायेगा।
9. कार्यकारी एजेन्सी कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह आश्वस्त कर लेवे एसडीआरएफ नोर्स के अन्तर्गत Ordinary Repair & Periodical Repair के तहत राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त सडकों की मरम्मत एवं पुनरुद्धार हेतु गणना विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश क्रमांक BSS1275 दिनांक 16.07.2024 द्वारा गणना की जायें।
10. कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।
11. स्वीकृति में दर्शित कार्य का व्यय स्वीकृत सीमा में ही किया जावे। उक्त कार्यों को अन्य मद में स्वीकृत नहीं किया जावे।
12. क्षतिग्रस्त कार्यों को आरम्भ करने से पूर्व के एवं कार्य समाप्ति के पश्चात् के फोटोग्राफ लेना आवश्यक है।
13. उक्त स्वीकृति के विरुद्ध क्षतिग्रस्त सम्पत्ति के केवल रिपेयर एवं रेस्टोरेशन के ही कार्य कराये जावे। नया निर्माण कार्य नहीं करवाया जावे।
14. कार्यकारी संस्था उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट बिल के साथ प्रस्तुत करें कि कार्य SDRP के मापदण्डों एवं प्रावधानों के अनुसार ही कराया गया है। तभी इस कार्यालय द्वारा भुगतान किया जावेगा।
15. राशि का व्यय करने हेतु लोक उपायन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं S.D.R.F. के नोर्स तथा विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार किया जावे।
16. प्रस्तावों में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंसा पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवाया जावे। क्षति का मुख्य कारण बाढ़ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
17. स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि व आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार अल्पकालीन निविदाएँ आमंत्रित कर कार्य कराएँ जा सकेंगे।

जिला कलक्टर,
कोटा

दिनांक: 29-11-2024

क्रमांक: सहायता/बाढ़/2024/1324

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक काग़्रवाही हेतु :-

1. शासन सचिव महोदय, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग जयपुर।
2. सम्मानीय आयुक्त महोदय कोटा सम्भाग कोटा।
3. उपखण्ड अधिकारी इटावा
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कोटा
5. अति. जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा कोटा
6. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान इटावा तह. पीपल्स
7. रक्षित प्रति

जिला कलक्टर,
कोटा

Document certified by RAVINDRA GOSWAMI
<ravindra11.goswami@gmail.com>

Digitally Signed by Ravindra
Goswami
Designation: J. Collector & District
Magistrate
Date :29-11-2024 04:42:55

RajKaj Ref No.: 12096657

कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता), कोटा

क्रमांक: सहायता/बाढ/2024/1325

दिनांक 29/11/2024

प्रशासनिक स्वीकृति

मानसून वर्ष 2024 में अत्यधिक वर्षा/बाढ के कारण क्षतिग्रस्त विद्यालय/चिकित्सा/आंगनवाडी/पंचायत भवनों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु पत्रांक 1146 दिनांक 01.10.2024 द्वारा उपखण्ड स्तरीय कमेटी की अनुशंसा सहित प्राप्त प्रस्ताव पर संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर की स्वीकृति क्रमांक एफ-8(28) आ.प्र. एवं सहा./बाढ/प्रस्ताव/2024/राजकाज / 12007880 जयपुर दिनांक 26.11.2024 के क्रम में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान खैराबाद तह. रामगंजमण्डी के 97 कार्य हेतु राशि रूपये 194.00 लाख की तात्कालिक मरम्मत राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से कराने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	तहसील	क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का प्रकार	क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का प्रकार	एसडीआरएफ मापदण्डों के अनुसार दर राशि	एसडीआरएफ मद से मरम्मत योग्य राशि लाखों में
1	रामगंजमण्डी	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अरनियाकलां	2.00	2.00
2	रामगंजमण्डी	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गोला	2.00	2.00
3	रामगंजमण्डी	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अलोद	2.00	2.00
4	रामगंजमण्डी	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय असकली	2.00	2.00
5	रामगंजमण्डी	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तेलियाखेडी	2.00	2.00
6	रामगंजमण्डी	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बन्धा	2.00	2.00
7	लाड़पुरा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उम्मेदपुरा	2.00	2.00
8	लाड़पुरा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय काल्याखेडी	2.00	2.00
9	लाड़पुरा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोपालपुरा	2.00	2.00
10	लाड़पुरा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दोबडा	2.00	2.00
11	लाड़पुरा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पदमपुरा	2.00	2.00
12	लाड़पुरा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भीलोद	2.00	2.00
13	लाड़पुरा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सिंहपुरा	2.00	2.00
14	रामगंजमण्डी	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कूकडाखान	2.00	2.00

15	रामगंजमण्डी	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुकडाखुर्द	2.00	2.00
16	रामगंजमण्डी	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुदायला	2.00	2.00
17	रामगंजमण्डी	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुम्भकोट	2.00	2.00
18	लाङपुरा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पाचनकुई	2.00	2.00
19	रामगंजमण्डी	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खीमच	2.00	2.00
20	रामगंजमण्डी	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कंवरपुरा	2.00	2.00
21	रामगंजमण्डी	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कोटडी	2.00	2.00
22	रामगंजमण्डी	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेडली	2.00	2.00
23	रामगंजमण्डी	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेडारूद्धा	2.00	2.00
24	रामगंजमण्डी	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खैराबाद	2.00	2.00
25	रामगंजमण्डी	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खैराबाद	2.00	2.00
26	रामगंजमण्डी	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उदपरिया	2.00	2.00
27	रामगंजमण्डी	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हनोतिया	2.00	2.00
28	रामगंजमण्डी	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कोलाअहिरा	2.00	2.00
29	रामगंजमण्डी	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गादिया	2.00	2.00
30	रामगंजमण्डी	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गायन्दा	2.00	2.00
31	रामगंजमण्डी	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बुरनखेडी	2.00	2.00
32	रामगंजमण्डी	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मूण्डिया	2.00	2.00
33	रामगंजमण्डी	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घाटोली	2.00	2.00
34	रामगंजमण्डी	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चेचट	2.00	2.00
35	रामगंजमण्डी	विद्यालय भवन	राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय चेचट	2.00	2.00
36	रामगंजमण्डी	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पीपल्दा चेचट	2.00	2.00

37	रामगंजमण्डी	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जुल्मी	2.00	2.00
38	लाड़पुरा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डोल्या	2.00	2.00
39	रामगंजमण्डी	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दोहनिया	2.00	2.00
40	रामगंजमण्डी	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जगपुरा	2.00	2.00
41	रामगंजमण्डी	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धरनावद	2.00	2.00
42	रामगंजमण्डी	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय न्यामतखेड़ी	2.00	2.00
43	रामगंजमण्डी	विद्यालय भवन	राजकीय प्राथमिक विद्यालय कमलपुरा	2.00	2.00
44	रामगंजमण्डी	विद्यालय भवन	राजकीय प्राथमिक विद्यालय झामराकी ठाणी	2.00	2.00
45	रामगंजमण्डी	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पीपल्दा	2.00	2.00
46	रामगंजमण्डी	विद्यालय भवन	राजकीय प्राथमिक विद्यालय मीन्याखेड़ी	2.00	2.00
47	रामगंजमण्डी	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कुटक्या	2.00	2.00
48	रामगंजमण्डी	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निमाणा	2.00	2.00
49	रामगंजमण्डी	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पीपाखेड़ी	2.00	2.00
50	रामगंजमण्डी	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गणेशपुरा	2.00	2.00
51	रामगंजमण्डी	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय धायपुरा	2.00	2.00
52	रामगंजमण्डी	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ोदियाकलां	2.00	2.00
53	रामगंजमण्डी	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भोलू	2.00	2.00
54	रामगंजमण्डी	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय राजुखेडा	2.00	2.00
55	रामगंजमण्डी	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बंधखान	2.00	2.00
56	रामगंजमण्डी	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सालेडाकलां	2.00	2.00
57	रामगंजमण्डी	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सोहनखेडा	2.00	2.00
58	लाड़पुरा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बोराबास	2.00	2.00

59	लाडपुरा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भंवरिया	2.00	2.00
60	लाडपुरा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मन्दरगढ़	2.00	2.00
61	लाडपुरा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रावंठा	2.00	2.00
62	रामगंजमण्डी	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मण्डा	2.00	2.00
63	रामगंजमण्डी	विद्यालय भवन	राजकीय प्राथमिक विद्यालय काल्याखेडी	2.00	2.00
64	रामगंजमण्डी	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मदनपुरा	2.00	2.00
65	रामगंजमण्डी	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोडकगांव	2.00	2.00
66	रामगंजमण्डी	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मंगलम मोडकगांव	2.00	2.00
67	रामगंजमण्डी	विद्यालय भवन	राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय मोडकगांव	2.00	2.00
68	रामगंजमण्डी	विद्यालय भवन	राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय मोडकगांव	2.00	2.00
69	रामगंजमण्डी	विद्यालय भवन	राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगंजमण्डी	2.00	2.00
70	रामगंजमण्डी	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ढाकिया	2.00	2.00
71	रामगंजमण्डी	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रिछडिया	2.00	2.00
72	रामगंजमण्डी	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दुर्जनपुरा	2.00	2.00
73	रामगंजमण्डी	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बीडमंडी	2.00	2.00
74	रामगंजमण्डी	विद्यालय भवन	राजकीय प्राथमिक विद्यालय नारायणपुरा	2.00	2.00
75	रामगंजमण्डी	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मीपुरा	2.00	2.00
76	रामगंजमण्डी	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लखारिया	2.00	2.00
77	रामगंजमण्डी	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय झिरी	2.00	2.00
78	रामगंजमण्डी	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पामाखेडी	2.00	2.00
79	रामगंजमण्डी	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गुजरियाखेडी	2.00	2.00

80	रामगंजमण्डी	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सहरावदा	2.00	2.00
81	रामगंजमण्डी	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सातलखेडी	2.00	2.00
82	रामगंजमण्डी	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय राजपुरा	2.00	2.00
83	रामगंजमण्डी	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रीछी	2.00	2.00
84	रामगंजमण्डी	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सालेडाखर्द	2.00	2.00
85	रामगंजमण्डी	विद्यालय भवन	राजकीय प्राथमिक विद्यालय सालेडाढाणी	2.00	2.00
86	रामगंजमण्डी	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुकेत	2.00	2.00
87	रामगंजमण्डी	विद्यालय भवन	राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सुकेत	2.00	2.00
88	रामगंजमण्डी	विद्यालय भवन	राजकीय प्राथमिक विद्यालय गुलाबपुरा	2.00	2.00
89	रामगंजमण्डी	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चन्द्रपुरा	2.00	2.00
90	रामगंजमण्डी	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बोरिना	2.00	2.00
91	रामगंजमण्डी	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत मोतीपुराकलां	2.00	2.00
92	रामगंजमण्डी	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय राईखेडा	2.00	2.00
93	रामगंजमण्डी	विद्यालय भवन	राजकीय प्राथमिक विद्यालय हाथियाखेडी	2.00	2.00
94	रामगंजमण्डी	विद्यालय भवन	राजकीय प्राथमिक विद्यालय चरियाखेडी	2.00	2.00
95	रामगंजमण्डी	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चोसला	2.00	2.00
96	रामगंजमण्डी	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हिरियाखेडी	2.00	2.00
97	रामगंजमण्डी	विद्यालय भवन	राजकीय प्राथमिक विद्यालय पीलियाखाल सुकेत	2.00	2.00
				194.00	194.00

कार्य कराने में निम्न शर्तों की पालना की जावे :-

1. उक्त कार्य को करवाने के लिए उपखण्ड स्तरीय कमेटी द्वारा अनुशंसा की है।
2. कार्यकारी एजेन्सी की वित्तीय शक्तिया PWD & AR के अनुसार मान्य होगी।
3. विभाग द्वारा राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नोम्स अनुसार किया है अतः संबंधित विभाग उन दरों से अधिक राशि का उपयोग भवनों की मरम्मत पर न करें।

4. उक्त कार्य SDRF/NDRF के नियमों तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी की गये दिशा निर्देशों एवं मापदण्डों की अक्षरशः पालना करते हुए कराया जावें।
5. ये सम्पत्तिया जो Defect Liability Period के तहत आती है, उनकी मरम्मत एसडीआरएफ से देय नहीं है।
6. कार्य उपखण्ड स्तरीय कमेटी से अनुमत होने आवश्यक है।
7. कराये गये कार्यों का भुगतान के लिए इस कार्यालय में बिल प्रस्तुत करने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। इसी वित्तीय वर्ष में भुगतान किया जाना है जिसके लिए समय पर बिल प्रस्तुत करें। अन्यथा वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर भुगतान संबंधित एजेन्सी को अपने विभागीय मद से करना होगा।
8. कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व यह सुनिश्चित करले कि उनके पास उपलब्ध राज्य मद में मरम्मत एवं संधारण हेतु प्रावधित राशि का उपयोग लिये जाने के उपरान्त ही एसडीआरएफ मद की राशि को उपयोग में लिया जायेगा।
9. कार्यकारी एजेन्सी कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह आश्वस्त कर लेवे एसडीआरएफ नोर्म्स के अन्तर्गत Ordinary Repair & Periodical Repair के तहत राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त सडकों की मरम्मत एवं पुनरुद्धार हेतु गणना विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश क्रमांक 8961275 दिनांक 16.07.2024 द्वारा गणना की जायें।
10. कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।
11. स्वीकृति में दर्शित कार्य का व्यय स्वीकृत सीमा में ही किया जावे। उक्त कार्यों को अन्य मद में स्वीकृत नहीं किया जावे।
12. क्षतिग्रस्त कार्यों को आरम्भ करने से पूर्व के एवं कार्य समाप्ति के पश्चात् के फोटोग्राफ लेना आवश्यक है।
13. उक्त स्वीकृति के विरुद्ध क्षतिग्रस्त सम्पत्ति के केवल रिपेयर एवं रेस्टोरेशन के ही कार्य कराये जावे। नया निर्माण कार्य नहीं करवाया जावे।
14. कार्यकारी संस्था उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट बिल के साथ प्रस्तुत करें कि कार्य SDRF के मापदण्डों एवं प्रावधानों के अनुसार ही कराया गया है। तभी इस कार्यालय द्वारा भुगतान किया जावेगा।
15. राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं S.D.R.F. के नोर्म्स तथा विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार किया जावे।
16. प्रस्तावों में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंषा पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवया जावे। क्षति का मुख्य कारण बाढ़ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
17. स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि व आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार अल्पकालीन निविदाएँ आमंत्रित कर कार्य कराएँ जा सकेंगे।

जिला कलक्टर,
कोटा

क्रमांक: सहायता/बाद/2024/ 1325

दिनांक: 29.11-2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु :-

1. शासन सचिव महोदय, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग जयपुर ।
2. सम्भागीय आयुक्त महोदय कोटा सम्भाग कोटा।
3. उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कोटा
5. अति. जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा कोटा
6. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान खेराबाद तह. रामगंजमण्डी
7. रक्षित प्रति

जिला कलक्टर,
कोटा

Document certified by RAVINDRA GOSWAMI
<ravindra11.goswami@gmail.com>

Digitally Signed by Ravindra
Goswami
Designation: District Collector & District
Magistrate
Date :29-11-2024 04:42:49

RajKaj Ref No.: 12096663



Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता), कोटा

क्रमांक: सहायता/बाढ/2024/1323

दिनांक 19.11.2024

प्रशासनिक स्वीकृति

मानसून वर्ष 2024 में अत्यधिक वर्षा/बाढ के कारण क्षतिग्रस्त विद्यालय/चिकित्सा/आंगनवाडी/पंचायत भवनों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु पत्रांक 1146 दिनांक 01.10.2024 द्वारा उपखण्ड स्तरीय कमेटी की अनुशंसा सहित प्राप्त प्रस्ताव पर संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर की स्वीकृति क्रमांक एफ-8(28) आ.प्र. एवं सहा./बाढ/प्रस्ताव/2024/राजकाज / 12007880 जयपुर दिनांक 26.11.2024 के क्रम में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान सांगोद तह. सांगोद के 19 कार्य हेतु राशि रुपये 30.00 लाख की तात्कालिक मरम्मत राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से कराने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	तहसील	क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का प्रकार	क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का प्रकार	एसडीआरएफ मापदण्डों के अनुसार दर राशि लाखों में	एसडीआरएफ मद से मरम्मत योग्य राशि लाखों में
1	सांगोद	विद्यालय भवन	राउमावि अमृतकुंआ	2.00	2.00
2	सांगोद	विद्यालय भवन	राउमावि आकोदिया	2.00	2.00
3	सांगोद	विद्यालय भवन	राउमावि कनोलर	2.00	2.00
4	सांगोद	विद्यालय भवन	राउमावि नयापुरा	1.00	1.00
5	सांगोद	विद्यालय भवन	राउमावि किशनपुरा	2.00	2.00
6	सांगोद	विद्यालय भवन	राउमावि अडूसा	1.00	1.00
7	सांगोद	विद्यालय भवन	राउमावि कुराडियाखुर्द	2.00	2.00
8	सांगोद	विद्यालय भवन	राउमावि लक्ष्मीपुरा	1.00	1.00
9	सांगोद	विद्यालय भवन	राउमावि धासंखेडा	1.00	1.00
10	सांगोद	विद्यालय भवन	राउमावि डाबरीकला	1.00	1.00
11	सांगोद	विद्यालय भवन	राउमावि दीगोद	2.00	2.00
12	सांगोद	विद्यालय भवन	राउमावि राजगढ	2.00	2.00
13	सांगोद	विद्यालय भवन	राउमावि लदूरी	2.00	2.00
14	सांगोद	विद्यालय भवन	राउमावि बपावरखुर्द	1.00	1.00
15	सांगोद	विद्यालय भवन	राउमावि लवानिया	2.00	2.00
16	सांगोद	विद्यालय भवन	राउमावि रोलाना	1.00	1.00
17	सांगोद	विद्यालय भवन	राउमावि श्यामपुरा	2.00	2.00
18	सांगोद	विद्यालय भवन	राउमावि जोगडा	1.00	1.00
19	सांगोद	विद्यालय भवन	राउमावि हीगी	2.00	2.00
	योग			30.00	30.00

कार्य कराने में निम्न शर्तों की पालना की जावे :-

- उक्त कार्यों को करवाने के लिए उपखण्ड स्तरीय कमेटी द्वारा अनुशंसा की है।

2. कार्यकारी एजेन्सी की वित्तीय शक्तिया PWD & AR के अनुसार मान्य होगी।
3. विभाग द्वारा राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नोर्स अनुसार किया है अतः संबंधित विभाग उन दरों से अधिक राशि का उपयोग भवनों की मरम्मत पर न करें।
4. उक्त कार्य SDRF/NDRF के नियमों तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी की गये दिशा निर्देशों एवं मापदण्डों की अक्षरशः पालना करते हुए कराया जावे।
5. ये सम्पत्तिया जो Defect Liability Period के तहत आती है, उनकी मरम्मत एसडीआरएफ से देय नहीं है।
6. कार्य उपखण्ड स्तरीय कमेटी से अनुमत होने आवश्यक है।
7. कराये गये कार्य का भुगतान के लिए इस कार्यालय में बिल प्रस्तुत करने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। इसी वित्तीय वर्ष में भुगतान किया जाना है जिसके लिए समय पर बिल प्रस्तुत करें। अन्यथा वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर भुगतान संबंधित एजेन्सी को अपने विभागीय मद से करना होगा।
8. कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व यह सुनिश्चित करले कि उनके पास उपलब्ध राज्य मद में मरम्मत एवं संधारण हेतु प्रावधित राशि का उपयोग लिये जाने से उपरान्त ही एसडीआरएफ मद की राशि को उपयोग में लिया जायेगा।
9. कार्यकारी एजेन्सी कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह आश्वस्त कर लेवे एसडीआरएफ नोर्स के अन्तर्गत Ordinary Repair & Periodical Repair के तहत राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त सडकों की मरम्मत एवं पुर्नरूद्धार हेतु गणना विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश क्रमांक 898/275 दिनांक 16.07.2024 द्वारा गणना की जायें।
10. कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।
11. स्वीकृति में दर्शित कार्य का व्यय स्वीकृत सीमा में ही किया जावे। उक्त कार्यो को अन्य मद में स्वीकृत नहीं किया जावे।
12. क्षतिग्रस्त कार्यो को आरम्भ करने से पूर्व के एवं कार्य समाप्ति के पश्चात् के फोटोग्राफ लेना आवश्यक है।
13. उक्त स्वीकृति के विरुद्ध क्षतिग्रस्त सम्पत्ति के केवल रिपेयर एवं रेस्टोरेशन के ही कार्य कराये जावे। नया निर्माण कार्य नहीं करवाया जावे।
14. कार्यकारी संस्था उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट बिल के साथ प्रस्तुत करें कि कार्य SDRF के मापदण्डों एवं प्रावधानों के अनुसार ही कराया गया है। तभी इस कार्यालय द्वारा भुगतान किया जावेगा।
15. राशि का व्यय करने हेतु लोक उपायन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं S.D.R.F. के नोर्स तथा विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार किया जावे।
16. प्रस्तावों में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशांषा पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवया जावे। क्षति का मुख्य कारण बाढ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
17. स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि व आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार अल्पकालीन निविदाएँ आमंत्रित कर कार्य कराएँ जा सकेंगे।

जिला कलक्टर,
कोटा

क्रमांक: सहायता/बाढ/2024/ 132-3

दिनांक: 29.11-2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक काग़वाही हेतु :-

1. शासन सचिव महोदय, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग जयपुर ।
2. सम्भागीय आयुक्त महोदय कोटा सम्भाग कोटा।
3. उपखण्ड अधिकारी सांगोद
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कोटा
5. अति. जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा कोटा
6. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान सांगोद कोटा तह. सांगोद

जिला कलक्टर,
कोटा

Document certified by RAVINDRA GOSWAMI
<ravindra11.goswami@gmail.com>.

Digitally Signed by Ravindra
Goswami
Designation : Collector & District
Magistrate
Date :29-11-2024 04:42:14

RajKaj Ref No.: 12096686



Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता), कोटा

क्रमांक: सहायता/बाढ/2024/ 1314

दिनांक १९.11.02024

प्रशासनिक स्वीकृति

मानसून वर्ष 2024 में अत्यधिक वर्षा/बाढ के कारण क्षतिग्रस्त विद्यालय/चिकित्सा/आंगनवाडी/पंचायत भवनों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु पत्रांक 1175 दिनांक 10.10.2024 द्वारा उपखण्ड स्तरीय कमेटी की अनुशंसा सहित प्राप्त प्रस्ताव पर संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर की स्वीकृति क्रमांक एफ-8(28) आ.प्र. एवं सहा./बाढ/प्रस्ताव/2024/राजकाज/12007880 जयपुर दिनांक 26.11.2024 के क्रम में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान लाडपुरा तह. लाडपुरा के 22 कार्य हेतु राशि रुपये 44.00 लाख की तात्कालिक मरम्मत राज्य आपदा भोचन निधि (SDRF) से कराने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	तहसील	क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का प्रकार	क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का प्रकार	एसडीआरएफ मापदण्डों के अनुसार दर राशि लाखों में	एसडीआरएफ मद से मरम्मत योग्य राशि लाखों में
1	लाडपुरा	विद्यालय भवन	राउप्रावि भीलौत	2.00	2.00
2	लाडपुरा	विद्यालय भवन	राउमावि भंवरिया	2.00	2.00
3	लाडपुरा	विद्यालय भवन	राउप्रावि दीपपुरा बनियानि	2.00	2.00
4	लाडपुरा	विद्यालय भवन	राउमावि जामुनिया	2.00	2.00
5	लाडपुरा	विद्यालय भवन	राउप्रावि जामपुरा	2.00	2.00
6	लाडपुरा	विद्यालय भवन	राउप्रावि प्रहलादपुरा	2.00	2.00
7	लाडपुरा	विद्यालय भवन	राउमावि गोदल्थाहेडी	2.00	2.00
8	लाडपुरा	विद्यालय भवन	राउमावि बौराबास	2.00	2.00
9	लाडपुरा	विद्यालय भवन	राउमावि मानसगांव	2.00	2.00
10	लाडपुरा	विद्यालय भवन	राउप्रावि गंगाइचा	2.00	2.00
11	लाडपुरा	विद्यालय भवन	राउप्रावि रांवठा	2.00	2.00
12	लाडपुरा	विद्यालय भवन	राउप्रावि मंदरगढ	2.00	2.00
13	लाडपुरा	विद्यालय भवन	राउप्रावि सोहनपुरा	2.00	2.00
14	लाडपुरा	विद्यालय भवन	राउप्रावि गैरुपुरा	2.00	2.00
15	लाडपुरा	विद्यालय भवन	राप्रावि कोटा डेम की टापरी	2.00	2.00

16	लाडपुरा	विद्यालय भवन	राउप्रावि चांदबायडी	2.00	2.00
17	लाडपुरा	विद्यालय भवन	राप्रावि किशनपुरा डोलिया	2.00	2.00
18	लाडपुरा	विद्यालय भवन	राप्रावि गरासिया बस्ती जसपुरा	2.00	2.00
19	लाडपुरा	विद्यालय भवन	राउमावि डोलियागांव	2.00	2.00
20	लाडपुरा	विद्यालय भवन	राउप्रावि पदमपुरा	2.00	2.00
21	लाडपुरा	विद्यालय भवन	राउमावि किशनपुरा तकिया	2.00	2.00
22	लाडपुरा	विद्यालय भवन	राउप्रावि नोटाना	2.00	2.00
				44.00	44.00

कार्य कराने में निम्न शर्तों की पालना की जावे :-

1. उक्त कार्यो को करवाने के लिए उपखण्ड स्तरीय कमेटी द्वारा अनुशंसा की है।
2. कार्यकारी एजेन्सी की वित्तीय शक्तिया PWD & AR के अनुसार मान्य होगी।
3. विभाग द्वारा राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नोर्म्स अनुसार किया है अतः संबंधित विभाग उन दरों से अधिक राशि का उपयोग भवनों की मरम्मत कर न सके।
4. उक्त कार्य SDRF/NDRF के नियमों तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी की गये दिशा निर्देशों एवं मापदण्डों की अक्षरशः पालना करते हुए कराया जावे।
5. ये सम्पत्तिया जो Defect Liability Period के तहत आती है, उनकी मरम्मत एसडीआरएफ से देय नहीं है।
6. कार्य उपखण्ड स्तरीय कमेटी से अनुमत होने आवश्यक है।
7. कराये गये कार्यो का भुगतान के लिए इस कार्यालय में बिल प्रस्तुत करने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। इसी वित्तीय वर्ष में भुगतान किया जाना है जिसके लिए समय पर बिल प्रस्तुत करें। अन्यथा वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर भुगतान संबंधित एजेन्सी को अपने विभागीय मद से रूपान्तरित होगा।
8. कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व यह सुनिश्चित करते कि उनके पास उपलब्ध राज्य मद में मरम्मत एवं संभारण हेतु प्रावधित राशि का उपयोग लिये जाने के उपरान्त ही एसडीआरएफ मद की राशि को उपयोग में लिया जायेगा।
9. कार्यकारी एजेन्सी कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह आवश्यक कर लेवे एसडीआरएफ नोर्म्स के अन्तर्गत Ordinary Repair & Periodical Repair के तहत राज्य आपदा मोकन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त सबको की मरम्मत एवं पुनरुद्धार हेतु गणना विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश क्रमांक 888/1275 दिनांक 16.07.2024 द्वारा गणना की जायें।
10. कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।
11. स्वीकृति में दर्शित कार्य का व्यय स्वीकृत सीमा में ही किया जावे। उक्त कार्यो को अन्य मद में स्वीकृत नहीं किया जावे।
12. क्षतिग्रस्त कार्यो को आरम्भ करने से पूर्व के एवं कार्य समाप्ति के पर्यात् के फोटोग्राफ लेना आवश्यक है।
13. उक्त स्वीकृति के विरुद्ध क्षतिग्रस्त सम्पत्ति के कंडल रिपेयर एवं रेस्टोरेशन के ही कार्य कराये जावे। नया निर्माण कार्य नहीं करवाया जावे।
14. कार्यकारी संस्था उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट बिल के साथ प्रस्तुत करें कि कार्य SDRF के मापदण्डों एवं प्रावधानों के अनुसार ही कराया गया है। तभी इस कार्यालय द्वारा भुगतान किया जावेगा।
15. राशि का व्यय करने हेतु लोक उपायन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं S.D.R.F. के नोर्म्स तथा विभाग द्वारा समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार किया जावे।
16. प्रस्तावों में दर्शायी गई वर्षों की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंसा पर सिंवाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवाया जावे। क्षति का मुख्य कारण बाढ़ अथवा आत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि से प्राप्त किया जावे।

17. स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि व आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार अल्पकालीन निविदाएँ आमंत्रित कर कार्य कराएँ जा सकेंगे।

जिला कलक्टर,
कोटा

क्रमांक: सहायता / बाढ / 2024 / 1314

दिनांक: 29.11-2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. शासन सचिव महोदय, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग जयपुर ।
2. सम्भागीय आयुक्त महोदय कोटा सम्भाग कोटा।
3. उपखण्ड अधिकारी कोटा
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कोटा
5. अति. जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा कोटा
6. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान कोटा तह. लाडपुर

जिला कलक्टर,
कोटा

Document certified by RAVINDRA GOSWAMI
<ravindra11.goswami@gmail.com>

Digitally Signed by Ravindra
Goswami
Designation: District Collector & District
Magistrate
Date :29-11-2024 04:42:42

RajKaj Ref No.: 12096672

कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता), कोटा

क्रमांक: सहायता/बाढ/2024/1315

दिनांक 29.11.2024

प्रशासनिक स्वीकृति

मानसून वर्ष 2024 में अत्यधिक वर्षा/बाढ के कारण क्षतिग्रस्त विद्यालय/चिकित्सा/आंगनवाडी/पंचायत भवनों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु पत्रांक 1175 दिनांक 10.10.2024 द्वारा उपखण्ड स्तरीय कमेटी की अनुशंघा सहित प्राप्त प्रस्ताव पर संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर की स्वीकृति क्रमांक एफ-8(28) आ.प्र. एवं सहा./बाढ/प्रस्ताव/2024/राजकाज/12007880 जयपुर दिनांक 26.11.2024 के क्रम में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, एवं समग्र शिक्षा कोटा शहर के 12 कार्य हेतु राशि रुपये 24.00 लाख की तात्कालिक मरम्मत राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से कराने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्वीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	तहसील	क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का प्रकार	क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का प्रकार	एसडीआरएफ मापदण्डों के अनुसार दर राशि लाखों में	एसडीआरएफ मद से मरम्मत योग्य राशि लाखों में
1	लाडपुरा	विद्यालय भवन	राउप्रावि रोटेदा	2.00	2.00
2	लाडपुरा	विद्यालय भवन	राप्रावि शंकरपुरा	2.00	2.00
3	लाडपुरा	विद्यालय भवन	राप्रावि छोटे बारेखंडी	2.00	2.00
4	लाडपुरा	विद्यालय भवन	राउप्रावि साजिदेहडा	2.00	2.00
5	लाडपुरा	विद्यालय भवन	राप्रावि अजयआहुजा नगर	2.00	2.00
6	लाडपुरा	विद्यालय भवन	राउप्रावि तलवंडी	2.00	2.00
7	लाडपुरा	विद्यालय भवन	राउप्रावि घोडाबस्ती	2.00	2.00
8	लाडपुरा	विद्यालय भवन	राउप्रावि दोलतगंज	2.00	2.00
9	लाडपुरा	विद्यालय भवन	राउमावि रामनगर	2.00	2.00
10	लाडपुरा	विद्यालय भवन	राबाउमावि तलवंडी	2.00	2.00
11	लाडपुरा	विद्यालय भवन	राबाउमावि रंगवाडी	2.00	2.00
12	लाडपुरा	विद्यालय भवन	राउमावि विज्ञाननगर	2.00	2.00
				24.00	24.00

कार्य कराने में निम्न शर्तों की पालना की जावे :-

- उक्त कार्य को करवाने के लिए उपखण्ड स्तरीय कमेटी द्वारा अनुशंघा की है।
- कार्यकारी एजेन्सी की वित्तीय शक्तिया PWD & AR के अनुसार मान्य होगी।
- विभाग द्वारा राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नोर्म्स अनुसार किया है अतः संबंधित विभाग उन दरों से अधिक राशि का उपयोग भवनों की मरम्मत पर न करे।
- उक्त कार्य SDRF/NDRF के नियमों तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी की गये दिशा निर्देशों एवं मापदण्डों की अक्षरशः पालना करते हुए कराया जावे।
- यदि सम्पत्तिया जो Defect Liability Period के तहत आती है, उनकी मरम्मत एसडीआरएफ से देय नहीं है।
- कार्य उपखण्ड स्तरीय कमेटी से अनुमत होने आवश्यक है।

7. कराये गये कार्यों का भुगतान के लिए इस कार्यालय में बिल प्रस्तुत करने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। इसी वित्तीय वर्ष में भुगतान किया जाना है जिसके लिए समय पर बिल प्रस्तुत करें। अन्यथा वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर भुगतान संबंधित एजेन्सी को अपने विभागीय मद से करना होगा।
8. कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व यह सुनिश्चित करले कि उनके पास उपलब्ध राज्य मद में मरम्मत एवं संधारण हेतु प्रावधित राशि का उपयोग लिये जाने के उपरान्त ही एसडीआरएफ मद की राशि को उपयोग में लिया जायेगा।
9. कार्यकारी एजेन्सी कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह आश्वस्त कर लेवे एसडीआरएफ नोर्स के अन्तर्गत Ordinary Repair & Periodical Repair के तहत राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त सडकों की मरम्मत एवं पुनरुद्धार हेतु गणना विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश क्रमांक 8981275 दिनांक 16.07.2024 द्वारा गणना की जायें।
10. कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।
11. स्वीकृति में दर्शित कार्य का व्यय स्वीकृत सीमा में ही किया जावे। उक्त कार्यों को अन्य मद में स्वीकृत नहीं किया जावे।
12. क्षतिग्रस्त कार्यों को आरम्भ करने से पूर्व के एवं कार्य समाप्ति के पश्चात् के फोटोग्राफ लेना आवश्यक है।
13. उक्त स्वीकृति के विरुद्ध क्षतिग्रस्त सम्पत्ति के केवल रिपेयर एवं रेस्टोरेशन के ही कार्य कराये जावे। नया निर्माण कार्य नहीं करवाया जावे।
14. कार्यकारी संस्था उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट बिल के साथ प्रस्तुत करें कि कार्य SDRF के मापदण्डों एवं प्रावधानों के अनुसार ही कराया गया है। तभी इस कार्यालय द्वारा भुगतान किया जावेगा।
15. राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं S.D.R.F. के नोर्स तथा विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार किया जावे।
16. प्रस्तावों में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंसा पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवया जावे। क्षति का मुख्य कारण बाढ़ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
17. स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि व आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार अल्पकालीन निविदाएँ आमंत्रित कर कार्य कराएँ जा सकें।

जिला कलक्टर,
कोटा

दिनांक: 29-11-2024

क्रमांक: सहायता/बाढ़/2024/ 1318

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु :-

1. शासन सचिव महोदय, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग जयपुर ।
2. सम्मानीय आयुक्त महोदय कोटा सम्भाग कोटा।
3. उपखण्ड अधिकारी कोटा
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कोटा
5. अति. जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा कोटा
6. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान कोटा शहर

Document certified by RAVINDRA GOSWAMI
<ravindra.goswami@rajraj.gov.in>

Digitally Signed by Ravindra
Goswami
Designation: Collector & District
Magistrate
Date :29-11-2024 04:42:36

RajKaj Ref No.: 12096677

कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता), कोटा

क्रमांक: सहायता/बाढ/2024/1319

दिनांक 19.11.2024

प्रशासनिक स्वीकृति

मानसून वर्ष 2024 में अत्यधिक वर्षा/बाढ के कारण क्षतिग्रस्त विद्यालय/चिकित्सा/आंगनवाडी/पंचायत भवनों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु पत्रांक 1175 दिनांक 10.10.2024 द्वारा उपखण्ड स्तरीय कमेटी की अनुशंशा सहित प्राप्त प्रस्ताव पर संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर की स्वीकृति क्रमांक एफ-8(28) आ.प्र. एवं सहा/बाढ/प्रस्ताव/2024/राजकाज/12007890 जयपुर दिनांक 26.11.2024 के क्रम में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समय शिक्षा सांगोद तहसील कनवास के 12 कार्य हेतु राशि रूपये 13.00 लाख की तात्कालिक मरम्मत राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से कराने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	तहसील	क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का प्रकार	क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का प्रकार	एसडीआरएफ मापदण्डों के अनुसार दर राशि लाखों में	एसडीआरएफ मद से मरम्मत योग्य राशि लाखों में
1	कनावस	विद्यालय भवन	राउमावि हिंगोनिया	2.00	2.00
2	कनावस	विद्यालय भवन	राउप्रावि पानाहेडा	1.00	1.00
3	कनावस	विद्यालय भवन	राउप्रावि टोलिया	1.00	1.00
4	कनावस	विद्यालय भवन	राउप्रावि ठिकोली	1.00	1.00
5	कनावस	विद्यालय भवन	राप्रावि जांगलियाहेडी	1.00	1.00
6	कनावस	विद्यालय भवन	राउप्रावि खोदियाखेडी	1.00	1.00
7	कनावस	विद्यालय भवन	राउप्रावि कोटबावडी	1.00	1.00
8	कनावस	विद्यालय भवन	राउप्रावि गरडा	1.00	1.00
9	कनावस	विद्यालय भवन	राप्रावि खडिपुर	1.00	1.00
10	कनावस	विद्यालय भवन	राप्रावि राजपुरा	1.00	1.00
11	कनावस	विद्यालय भवन	राप्रावि आलियाहेडी	1.00	1.00
12	कनावस	विद्यालय भवन	राप्रावित गज्रयाहेडी	1.00	1.00
				13.00	13.00

कार्य करने में निम्न शर्तों की पालना की जावे :-

- उक्त कार्य को करवाने के लिए उपखण्ड स्तरीय कमेटी द्वारा अनुशंशा की है।
- कार्यकारी एजन्सी की वित्तीय शक्तिया PWD & AR के अनुसार मान्य होगी।
- विभाग द्वारा राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नोर्म्स अनुसार किया है अतः संबंधित विभाग उन दरों से अधिक राशि का उपयोग भवनों की मरम्मत पर न करें।
- उक्त कार्य SDRF/NDRI के नियमों तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी की गये दिशा निर्देशों एवं मापदण्डों की अक्षरशः पालना करते हुए कराया जावे।
- ये सम्पत्तिया जो Defect Liability Period के तहत आती हैं, उनकी मरम्मत एसडीआरएफ से देय नहीं है।

6. कार्य उपखण्ड स्तरीय कमेटी से अनुमत होने आवश्यक है।
7. कराये गये कार्यों का भुगतान के लिए इस कार्यालय में बिल प्रस्तुत करने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। इसी वित्तीय वर्ष में भुगतान किया जाना है जिसके लिए समय पर बिल प्रस्तुत करें। अन्यथा वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर भुगतान संबंधित एजेन्सी को अपने विभागीय मद से करना होगा।
8. कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व यह सुनिश्चित करले कि उनके पास उपलब्ध राज्य मद में मरम्मत एवं संधारण हेतु प्रावधित राशि का उपयोग लिये जाने के उपरान्त ही एसडीआरएफ मद की राशि को उपयोग में लिया जायेगा।
9. कार्यकारी एजेन्सी कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह आश्वस्त कर लेवे एसडीआरएफ नोर्स के अन्तर्गत Ordinary Repair & Periodical Repair के तहत राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत एवं पुर्नरूद्धार हेतु गणना विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश क्रमांक 8981275 दिनांक 16.07.2024 द्वारा गणना की जायें।
10. कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।
11. स्वीकृति में दर्शित कार्य का व्यय स्वीकृत सीमा में ही किया जावे। उक्त कार्यों को अन्य मद में स्वीकृत नहीं किया जावे।
12. क्षतिग्रस्त कार्यों को आरम्भ करने से पूर्व के एवं कार्य समाप्ति के पश्चात् के फोटोग्राफ लेना आवश्यक है।
13. उक्त स्वीकृति के विरुद्ध क्षतिग्रस्त सम्पत्ति के केवल रिपेयर एवं रेस्टोरेशन के ही कार्य कराये जावे। नया निर्माण कार्य नहीं करवाया जावे।
14. कार्यकारी संस्था उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट बिल के साथ प्रस्तुत करें कि कार्य SDRF के मापदण्डों एवं प्रावधानों के अनुसार ही कराया गया है। तभी इस कार्यालय द्वारा भुगतान किया जावेगा।
15. राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं S.D.R.F. के नोर्स तथा विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार किया जावे।
16. प्रस्तावों में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंसा पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवया जावे। क्षति का मुख्य कारण बाढ़ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
17. स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि व आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार अल्पकालीन निविदाएँ आमंत्रित कर कार्य कराएँ जा सकेंगे।

जिला कलक्टर,
कोटा

दिनांक: 25/11-2024

क्रमांक: सहायता/बाढ़/2024/1313

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. शासन सचिव महोदय, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग जयपुर ।
2. सम्भागीय आयुक्त महोदय कोटा सम्भाग कोटा।
3. उपखण्ड अधिकारी कोटा
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कोटा
5. अति. जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा कोटा
6. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान सांगोद

जिला कलक्टर,

Digitally certified by RAVINDRA GOSWAMI
<ravindra11.goswami@gmail.com>

Digitally Signed by Ravindra
Goswami
Designation: Collector & District
Magistrate
Date :29-11-2024 04:42:08

RajKaj Ref No.: 12096697

कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता), कोटा

क्रमांक: सहायता/बाढ/2024/1315

दिनांक 28.11.2024

प्रशासनिक स्वीकृति

मानसून वर्ष 2024 में अत्यधिक वर्षा/बाढ के कारण क्षतिग्रस्त विद्यालय/चिकित्सा/आंगनवाडी/पंचायत भवनों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु पत्रांक 1175 दिनांक 10.10.2024 द्वारा उपखण्ड स्तरीय कमेटी की अनुशंसा सहित प्राप्त प्रस्ताव पर संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर की स्वीकृति क्रमांक एफ-8(28) आ.प्र. एवं सहा. /बाढ/प्रस्ताव/2024/120077880 जयपुर दिनांक 26.11.2024 के क्रम में पंचायत समिति खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी / चेचट के 26 कार्य हेतु राशि रुपये 52.00 लाख की तात्कालिक मरम्मत राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से कराने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	तहसील	क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का प्रकार	क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का नाम	एसडीआरएफ मापदण्डों के अनुसार दर राशि लाखों में	एसडीआरएफ मद से मरम्मत योग्य राशि लाखों में
1	रामगंजण्डी	विद्यालय भवन	रा०उ०प्रा०बा०वि० जुलमी	2.00	2.00
2	रामगंजण्डी	विद्यालय भवन	रा०उ०मा०वि० में मरम्मत खेड़ारुधा	2.00	2.00
3	रामगंजण्डी	विद्यालय भवन	रा०उ०प्रा०वि० उंडवा	2.00	2.00
4	रामगंजण्डी	विद्यालय भवन	रा०उ० मा० वि .० सहरावदा	2.00	2.00
5	चेचट	विद्यालय भवन	रा०उ० मा० वि .० भटवाड़ा	2.00	2.00
6	रामगंजण्डी	विद्यालय भवन	विद्यालय भवन के कक्षा कक्ष लसुडिया	2.00	2.00
7	रामगंजण्डी	विद्यालय भवन	रा०उ० प्रा० वि० बूरनखेडी	2.00	2.00
8	रामगंजण्डी	विद्यालय भवन	रा०प्रा० वि० मानपूरा	2.00	2.00
9	रामगंजण्डी	विद्यालय भवन	रा०उ० प्रा० वि० विस्न्याखेडी	2.00	2.00
10	रामगंजण्डी	विद्यालय भवन	रा०उ० मा० वि .० जुलमी	2.00	2.00
11	रामगंजण्डी	विद्यालय भवन	रा०प्रा० वि० न्यामतखेडी	2.00	2.00
12	चेचट	विद्यालय भवन	रा०प्रा० वि० रामपुरिया	2.00	2.00
13	चेचट	विद्यालय भवन	रा०उ० मा० वि .० घाटीली	2.00	2.00
14	चेचट	विद्यालय भवन	कन्या पाठशाला खेड़ारुधा	2.00	2.00
15	चेचट	विद्यालय भवन	रा०उ० मा० वि .० खेड़ारुधा	2.00	2.00
16	चेचट	विद्यालय भवन	रा०उ० प्रा० वि .० खेड़ारुधा	2.00	2.00
17	चेचट	विद्यालय भवन	रा०उ० प्रा० वि .० बक्षपूरा	2.00	2.00
18	चेचट	विद्यालय भवन	संस्कृत विद्यालय सहरावदा	2.00	2.00
19	रामगंजण्डी	विद्यालय भवन	रा०प्रा० वि .० जागुनिया	2.00	2.00

20	चेचट	विद्यालय भवन	रा०उ० मा० वि० केवरपुरा	2.00	2.00
21	चेचट	विद्यालय भवन	रा०उ० प्रा० वि० गुडाला	2.00	2.00
22	चेचट	विद्यालय भवन	रा०उ० प्रा० वि० हथोना	2.00	2.00
23	चेचट	विद्यालय भवन	रा०उ० मा० वि० संस्कृत स्कूल मोडक गाँव	2.00	2.00
24	चेचट	विद्यालय भवन	रा०उ० मा० वि० मोडक गाँव	2.00	2.00
25	चेचट	विद्यालय भवन	रा०उ० मा० वि० मंगलम विद्यालय महावीर कोलोनी मोडक गाँव	2.00	2.00
26	शामगंजण्डी	विद्यालय भवन	रा०उ० प्रा० वि० फतेहपुर	2.00	2.00
				52.00	52.00

कार्य करने में निम्न शर्तों की पालना की जावे :-

1. उक्त कार्यों को करवाने के लिए उपखण्ड स्तरीय कमेटी द्वारा अनुशंसा की है।
2. कार्यकारी एजेन्सी की वित्तीय शक्तियां PWD & AR के अनुसार मान्य होगी।
3. विभाग द्वारा राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नोर्स अनुसार किया है अतः संबंधित विभाग उन दरों से अधिक राशि का उपयोग भवनों की मरम्मत पर न करें।
4. उक्त कार्य SDRF/NDRF के नियमों तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी की गये दिशा निर्देशों एवं मापदण्डों की अक्षरशः पालना करते हुए कराया जावे।
5. ये सम्पत्तियां जो Defect Liability Period के तहत आती है, उनकी मरम्मत एसडीआरएफ से देय नहीं है।
6. कार्य उपखण्ड स्तरीय कमेटी से अनुमत होने आवश्यक है।
7. कचारे गये कार्यों का भुगतान के लिए इस कार्यालय में बिल प्रस्तुत करने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। इसी वित्तीय वर्ष में भुगतान किया जाना है जिसके लिए समय पर बिल प्रस्तुत करें। अन्यथा वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर भुगतान संबंधित एजेन्सी को अपने विभागीय मद से करना होगा।
8. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करले कि उनके पास उपलब्ध राज्य मद में मरम्मत एवं संधारण हेतु प्रावधित राशि का उपयोग लिये जाने के उपरान्त ही एसडीआरएफ मद की राशि को उपयोग में लिया जावेगा।
9. कार्यकारी एजेन्सी कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह आवश्यक कर लेवे एसडीआरएफ नोर्स के अन्तर्गत Ordinary Repair & Periodical Repair के तहत राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत एवं पुर्नरूद्धार हेतु गणना विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश क्रमांक 898/275 दिनांक 16.07.2024 द्वारा गणना की जायें।
10. कार्यकारी एजेन्सी को यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
11. स्वीकृति में दर्शित कार्य का व्यय स्वीकृत सीमा में ही किया जावे। उक्त कार्यों को अन्य मद में स्वीकृत नहीं किया जावे।
12. क्षतिग्रस्त कार्यों को आरम्भ करने से पूर्व के एवं कार्य समाप्ति के पश्चात् के फोटोग्राफ लेना आवश्यक है।
13. उक्त स्वीकृति के दिरूद्ध क्षतिग्रस्त सम्पत्ति के ड्रॉइंग रिपेयर एवं रेस्टोरेसन के ही कार्य कचारे जावे। नया निर्माण कार्य नहीं करवाया जावे।
14. कार्यकारी संस्था उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट बिल के साथ प्रस्तुत करें कि कार्य SDRF के मापदण्डों एवं प्रावधानों के अनुसार ही कराया गया है। तनी इस कार्यालय द्वारा भुगतान किया जावेगा।
15. राशि का व्यय करने हेतु लोक उपायन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं S.D.R.F. के नोर्स तथा विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार किया जावे।

16. प्रस्तावों में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंसा पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवया जावे। क्षति का मुख्य कारण बाढ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

17. स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि व आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार अल्पकालीन निविदाएँ आमंत्रित कर कार्य कराएँ जा सकेंगे।

जिला कलक्टर,
कोटा

दिनांक: 29-11-2024

क्रमांक: सहायता/बाढ/2024/ 1315

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाही हेतु :-

1. शासन सचिव महोदय, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग जयपुर ।
2. सम्मानीय आयुक्त महोदय कोटा सम्भाग कोटा।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद कोटा
4. उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी
5. विकास अधिकारी पंचायत समिति खेराबाद
7. रक्षित प्रति

जिला कलक्टर,
कोटा

Document certified by RAVINDRA GOSWAMI
<ravindra11.goswami@gmail.com>

Digitally Signed by Ravindra
Goswami
Designation: Collector & District
Magistrate
Date :29-11-2024 04:42:02

कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता), कोटा

क्रमांक: सहायता/बाढ/2024/ 1320

दिनांक 29/11/2024

प्रशासनिक स्वीकृति

मानसून वर्ष 2024 में अत्यधिक वर्षा/बाढ के कारण क्षतिग्रस्त विद्यालय/चिकित्सा/आंगनवाडी/पंचायत भवनों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु पत्रांक 1175 दिनांक 10.10.2024 द्वारा उपखण्ड स्तरीय कमेटी की अनुशंसा सहित प्राप्त प्रस्ताव पर संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर की स्वीकृति क्रमांक एफ-8(28) आ.प्र. एवं सहा. /बाढ/प्रस्ताव/2024/12007880 जयपुर दिनांक 26.11.2024 के क्रम में पंचायत समिति इटावा तहसील पीपल्दा के 11 कार्य हेतु राशि रुपये 22.00 लाख की तात्कालिक मरम्मत राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से कराने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	तहसील	क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का प्रकार	क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का नाम	एसडीआरएफ मापदण्डों के अनुसार दर राशि	एसडीआरएफ मद से मरम्मत योग्य राशि लाखों में
1	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खातोली पंचायत खातोली	2.00	2.00
2	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्रा० विद्यालय डोली पंचायत गणेशगंज	2.00	2.00
3	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्रा० विद्यालय गोठडा कलौ पंचायत नीमोला	2.00	2.00
4	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्रा० विद्यालय खेडली महाराजा पंचायत जलोदा खातियान	2.00	2.00
5	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रोण ग्राम पंचायत शहनावदा	2.00	2.00
6	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गणेशपुरा	2.00	2.00
7	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय ककरावदा मरम्मत कार्य	2.00	2.00
8	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रामगंज	2.00	2.00
9	पीपल्दा	विद्यालय भवन	महात्मा गांधी विद्यालय करवाड	2.00	2.00
10	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नोनेरा ग्राम पंचायत नोनेरा	2.00	2.00
11	पीपल्दा	विद्यालय भवन	राजकीय उच्च प्रा० विद्यालय गूडली ग्राम पंचायत रगोदिया	2.00	2.00
				22.00	22

कार्य कराने में निम्न शर्तों की पालना की जावे :-

1. उक्त कार्यों को करवाने के लिए उपखण्ड स्तरीय कमेटी द्वारा अनुशंभा की है।
2. कार्यकारी एजेन्सी की वित्तीय शक्तिया PWD & AR के अनुसार मान्य होगी।
3. विभाग द्वारा राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नोर्म्स अनुसार किया है अतः संबंधित विभाग उन दरों से अधिक राशि का उपयोग भवनों की मरम्मत पर न करें।
4. उक्त कार्य SDRF/NDRF के नियमों तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी की गये दिशा निर्देशों एवं मापदण्डों की अक्षरशः पालना करते हुए कराया जावें।
5. ये सम्पत्तिया जो Defect Liability Period के तहत आती है, उनकी मरम्मत एसडीआरएफ से देय नहीं है।
6. कार्य उपखण्ड स्तरीय कमेटी से अनुमत होने आवश्यक है।
7. कराये गये कार्यों का भुगतान के लिए इस कार्यालय में बिल प्रस्तुत करने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। इसी वित्तीय वर्ष में भुगतान किया जाना है जिसके लिए समय पर बिल प्रस्तुत करें। अन्यथा वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर भुगतान संबंधित एजेन्सी को अपने विभागीय मद से करना होगा।
8. कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व यह सुनिश्चित करले कि उनके पास उपलब्ध राज्य मद में मरम्मत एवं संधारण हेतु प्रावधित राशि का उपयोग लिये जाने के उपरान्त ही एसडीआरएफ मद की राशि को उपयोग में लिया जायेगा।
9. कार्यकारी एजेन्सी कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह आश्वस्त कर लेवे एसडीआरएफ नोर्म्स के अन्तर्गत Ordinary Repair & Periodical Repair के तहत राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त सडकों की मरम्मत एवं पुनरुद्धार हेतु गणना विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश क्रमांक 8981275 दिनांक 16.07.2024 द्वारा गणना की जायें।
10. कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनकी
11. स्वीकृति में दर्शित कार्य का व्यय स्वीकृत सीमा में ही किया जावे। उक्त कार्यों को अन्य मद में स्वीकृत नहीं किया जावे।
12. क्षतिग्रस्त कार्यों को आरम्भ करने से पूर्व के एवं कार्य समाप्ति के पश्चात् के फोटोग्राफ लेना आवश्यक है।
13. उक्त स्वीकृति के विरुद्ध क्षतिग्रस्त सम्पत्ति के केवल रिपेयर एवं रेस्टोरेशन के ही कार्य कराये जावे। नया निर्माण कार्य नहीं करवाया जावे।
14. कार्यकारी संस्था उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट बिल के साथ प्रस्तुत करें कि कार्य SDRF के मापदण्डों एवं प्रावधानों के अनुसार ही कराया गया है। तभी इस कार्यालय द्वारा भुगतान किया जावेगा।
15. राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं S.D.R.F. के नोर्म्स तथा विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार किया जावे।
16. प्रस्तावों में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंभा पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवाया जावे। क्षति का मुख्य कारण बाढ़ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
17. स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि व आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार अल्पकालीन निविदाएँ आमंत्रित कर कार्य कराए जा सकेंगे।

जिला कलक्टर,
कोटा

क्रमांक: सहायता/बाढ/2024/ 1320

दिनांक 29.11-2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक काग़वाही हेतु :-

1. शासन सचिव महोदय, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग जयपुर ।
2. सम्भागीय आयुक्त महोदय कोटा सम्भाग कोटा।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद कोटा
4. उपखण्ड अधिकारी इटावा
5. विकास अधिकारी पंचायत समिति इटावा
7. रक्षित प्रति

जिला कलक्टर,
कोटा

RajKaj Ref No.: 12096660

Document certified by RAVINDRA GOSWAMI
<ravindra11.goswami@gmail.com>

Digitally Signed by Ravindra
Goswami
Designation : Collector & District
Magistrate
Date :29-11-2024 04:42:20

कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता), कोटा

क्रमांक: सहायता/बाढ/2024/1316

दिनांक 29.11.2024

प्रशासनिक स्वीकृति

मानसून वर्ष 2024 में अत्यधिक वर्षा/बाढ के कारण क्षतिग्रस्त विद्यालय/चिकित्सा/आंगनवाडी/पंचायत भवनों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु पत्रांक 1175 दिनांक 10.10.2024 द्वारा उपखण्ड स्तरीय कमेटी की अनुशंसा सहित प्राप्त प्रस्ताव पर संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर की स्वीकृति क्रमांक एफ-8(28) आ.प्र. एवं सहा./बाढ/प्रस्ताव/2024/120078880 जयपुर दिनांक 26.11.2024 के क्रम में पंचायत समिति खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी के 6 कार्य हेतु राशि रुपये 12.00 लाख की तात्कालिक मरम्मत राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से कराने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	तहसील	क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का प्रकार	क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का नाम	एसडीआरएफ मापदण्डों के अनुसार दर राशि लाखों में	एसडीआरएफ मद से मरम्मत योग्य राशि लाखों में
1	रामगंजमण्डी	पंचायत भवन	अटल सेवा केन्द्र हाथियाखेडी	2.00	2.00
2	रामगंजमण्डी	पंचायत भवन	अटल सेवा केन्द्र लक्ष्मीपुरा	2.00	2.00
3	रामगंजमण्डी	पंचायत भवन	पुरानी पंचायत भवन मरम्मत कार्य मदनपुरा	2.00	2.00
4	रामगंजमण्डी	पंचायत भवन	राजीव गांधी सेवा केन्द्र मरम्मत कार्य लक्ष्मीपुरा	2.00	2.00
5	चेचट	पंचायत भवन	राजीव गांधी सेवा केन्द्र मरम्मत कार्य देवलीकलां	2.00	2.00
6	रामगंजमण्डी	पंचायत भवन	राजीव गांधी सेवा केन्द्र मरम्मत कार्य पीपाखेडी	2.00	2.00
	योग			12.00	12.00

कार्य कराने में निम्न शर्तों की पालना की जावे :-

- उक्त कार्यों को करवाने के लिए उपखण्ड स्तरीय कमेटी द्वारा अनुशंसा की है।
- कार्यकारी एजेन्सी की वित्तीय शक्ति या PWD & AR के अनुसार मान्य होगी।
- विभाग द्वारा राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नोर्स अनुसार किया है अतः संबंधित विभाग उन दरों से अधिक राशि का उपयोग भवनों की मरम्मत पर न करें
- उक्त कार्य SDRF/NDRF के नियमों तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी की गये दिशा निर्देशों एवं मापदण्डों की अक्षरशः पालना करते हुए कराया जावे।
- ये सम्पत्तिया जो Defect Liability Period के तहत आती है, उनकी मरम्मत एसडीआरएफ से देय नहीं है।
- कार्य उपखण्ड स्तरीय कमेटी से अनुमत्त होने आवश्यक है।
- कराये गये कार्यों का भुगतान के लिए इस कार्यालय में बिल प्रस्तुत करने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। इसी वित्तीय वर्ष में भुगतान किया जाना है जिसके लिए समय पर बिल प्रस्तुत करें। अन्यथा वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर भुगतान संबंधित एजेन्सी को अपने विभागीय मद से करना होगा।
- कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व यह सुनिश्चित करले कि उनके पास उपलब्ध राज्य मद में मरम्मत एवं संधारण हेतु प्रावधित राशि का उपयोग लिये जाने के उपरान्त ही एसडीआरएफ मद की राशि को उपयोग में लिया जायेगा।

9. कार्यकारी एजेन्सी कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह आश्वस्त कर लेवे एसडीआरएफ नोर्स के अन्तर्गत Ordinary Repair & Periodical Repair के तहत राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत एवं पुनरुद्धार हेतु गणना विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश क्रमांक 8981275 दिनांक 16.07.2024 द्वारा गणना की जायें।

10. कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।

11. स्वीकृति में दर्शित कार्य का व्यय स्वीकृत सीमा में ही किया जावे। उक्त कार्यों को अन्य मद में स्वीकृत नहीं किया जावे।

12. क्षतिग्रस्त कार्यों को आरम्भ करने से पूर्व के एवं कार्य समाप्ति के पश्चात् के फोटोग्राफ लेना आवश्यक है।

13. उक्त स्वीकृति के विरुद्ध क्षतिग्रस्त सम्पत्ति के केवल रिपेयर एवं रेस्टोरेशन के ही कार्य कराये जावे। नया निर्माण कार्य नहीं करवाया जावे।

14. कार्यकारी संस्था उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट बिल के साथ प्रस्तुत करें कि कार्य SDRF के मापदण्डों एवं प्राक्धानों के अनुसार ही कराया गया है। तभी इस कार्यालय द्वारा भुगतान किया जावेगा।

15. राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं S.D.R.F. के नोर्स तथा विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार किया जावे।

16. प्रस्तावों में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंसा पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवाया जावे। क्षति का मुख्य कारण बाढ़ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

17. स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि व आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार अल्पकालीन निविदाएँ आमंत्रित कर कार्य कराए जा सकेंगे।

जिला कलक्टर,
कोटा

दिनांक: 29-11-2024

क्रमांक: सहायता/बाढ़/2024/ 1316

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक काग़वाही हेतु :-

1. शासन सचिव महोदय, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग जयपुर ।
2. सम्भागीय आयुक्त महोदय कोटा सम्भाग कोटा।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद कोटा
4. उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी
5. विकास अधिकारी पंचायत समिति खेराबाद
7. रक्षित प्रति

जिला कलक्टर,
कोटा

Document certified by RAVINDRA GOSWAMI
<ravindra11.goswami@gmail.com>

Digitally Signed by Ravindra
Goswami
Designation: Sub-Division Officer & District
Magistrate
Date :29-11-2024 04:40:51

कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता), कोटा

क्रमांक: सहायता/बाढ/2024/1317

दिनांक 29/11/2024

प्रशासनिक स्वीकृति

मानसून वर्ष 2024 में अत्यधिक वर्षा/बाढ के कारण क्षतिग्रस्त विद्यालय/चिकित्सा/आंगनवाडी/पंचायत भवनों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु पत्रांक 1175 दिनांक 10.10.2024 द्वारा उपखण्ड स्तरीय कमेटी की अनुशंसा सहित प्राप्त प्रस्ताव पर संयुक्त शासन राय, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर की स्वीकृति क्रमांक एफ-8(28) आ.प्र. एवं सहा./बाढ/प्रस्ताव/2024/12007880 जयपुर दिनांक 26.11.2024 के क्रम में पंचायत समिति इटावा तहसील पीपल्दा के 25 कार्य हेतु राशि रुपये 50.00 लाख की तात्कालिक मरम्मत राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से कराने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तों के अन्वये एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	तहसील	क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का प्रकार	क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का नाम	एसडीआरएफ मापदण्डों के अनुसार दर राशि लाखों में	एसडीआरएफ मद से मरम्मत योग्य राशि लाखों में
1	पीपल्दा	पंचायत समिति	भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र पंचायत समिति इटावा	2.00	2.00
2	पीपल्दा	पंचायत घर	पंचायत भवन अयाना	2.00	2.00
3	पीपल्दा	पंचायत घर	भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र अयाना	2.00	2.00
4	पीपल्दा	पंचायत घर	भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र अयानी	2.00	2.00
5	पीपल्दा	पंचायत घर	भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र बागली	2.00	2.00
6	पीपल्दा	पंचायत घर	भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र बालूणा	2.00	2.00
7	पीपल्दा	पंचायत घर	भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र बंबूलियां कला	2.00	2.00
8	पीपल्दा	पंचायत घर	भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र बोरदा	2.00	2.00
9	पीपल्दा	पंचायत घर	भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र दीपरी चंबल	2.00	2.00
10	पीपल्दा	पंचायत घर	भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र झूंगरली	2.00	2.00
11	पीपल्दा	पंचायत घर	भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र गैता	2.00	2.00
12	पीपल्दा	पंचायत घर	भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र जलोदा खातिपान	2.00	2.00

13	पीपल्दा	पंचायत घर	भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र जटवाड़ा	2.00	2.00
14	पीपल्दा	पंचायत घर	भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र जोरावरपुरा	2.00	2.00
15	पीपल्दा	पंचायत घर	भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र ककरायदा	2.00	2.00
16	पीपल्दा	पंचायत घर	भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र करवाड़	2.00	2.00
17	पीपल्दा	पंचायत घर	भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र कंधूदा	2.00	2.00
18	पीपल्दा	पंचायत घर	भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र खातौली	2.00	2.00
19	पीपल्दा	पंचायत घर	भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र ल्यावदा	2.00	2.00
20	पीपल्दा	पंचायत घर	भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र लुहावद	2.00	2.00
21	पीपल्दा	पंचायत घर	भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र नीमोला	2.00	2.00
22	पीपल्दा	पंचायत घर	भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र नोनेरा	2.00	2.00
23	पीपल्दा	पंचायत घर	भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र पीपल्दा कलां	2.00	2.00
24	पीपल्दा	पंचायत घर	भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र रजोपा	2.00	2.00
25	पीपल्दा	पंचायत घर	भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र रनोदिया	2.00	2.00
योग				50.00	50.00

कार्य करने में निम्न शर्तों की पालना की जावे :-

1. उक्त कार्यो को करवाने के लिए उपखण्ड स्तरीय कमेटी द्वारा अनुराधा की है।
2. कार्यकारी एजेंसी की वित्तीय शक्तिया PWD & AR के अनुसार मान्य होगी।
3. विभाग द्वारा राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नोर्स अनुसार किया है अतः संबंधित विभाग उन दरों से अधिक राशि का उपयोग भवनों की मरम्मत पर न करें।
4. उक्त कार्य SDRF/NDRF के नियमों तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी की गये दिशा निर्देशों एवं मापदण्डों की अक्षरशः पालना करते हुए कराया जावे।
5. ये सम्पत्तिया जो Defect Liability Period के तहत आती है, उनकी मरम्मत एसडीआरएफ से देय नहीं है।
6. कार्य उपखण्ड स्तरीय कमेटी से अनुमति होने आवश्यक है।

7. कराये गये कार्यों का भुगतान के लिए इस कार्यालय में बिल प्रस्तुत करने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। इसी वित्तीय वर्ष में भुगतान किया जाना है जिसके लिए समय पर बिल प्रस्तुत करें। अन्यथा वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर भुगतान संबंधित एजेन्सी को अपने विभागीय मद से करना होगा।
8. कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व यह सुनिश्चित करले कि उनके पास उपलब्ध राज्य मद में मरम्मत एवं संधारण हेतु प्रावधित राशि का उपयोग लिये जाने के उपरान्त ही एसडीआरएफ मद की राशि को उपयोग में लिया जायेगा।
9. कार्यकारी एजेन्सी कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह आश्वस्त कर लेवे एसडीआरएफ नोर्स के अन्तर्गत Ordinary Repair & Periodical Repair के तहत राज् आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत एवं पुर्नरूद्धार हेतु गणना विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश क्रमांक 8981275 दिनांक 16.07.2024 द्वारा गणना की जायें।
10. कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।
11. स्वीकृति में दर्शित कार्य का व्यय स्वीकृत सीमा में ही किया जावे। उक्त कार्यों को अन्य मद में स्वीकृत नहीं किया जावे।
12. क्षतिग्रस्त कार्यों को आरम्भ करने से पूर्व के एवं कार्य समाप्ति के पश्चात् के फोटोग्राफ लेना आवश्यक है।
13. उक्त स्वीकृति के विरुद्ध क्षतिग्रस्त सम्पत्ति के केवल रिपेयर एवं रेस्टोरेशन के ही कार्य कराये जावे। नया निर्माण कार्य नहीं करवाया जावे।
14. कार्यकारी संस्था उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट बिल के साथ प्रस्तुत करें कि कार्य SDRF के मापदण्डों एवं प्रावधानों के अनुसार ही कराया गया है। तभी इस कार्यालय द्वारा भुगतान किया जावेगा।
15. राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं S.D.R.F. के नोर्स तथा विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार किया जावे।
16. प्रस्तावों में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंसा पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवया जावे। क्षति का मुख्य कारण बाढ़ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
17. स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि व आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार अल्पकालीन निविदाएँ आमंत्रित कर कार्य कराएँ जा सकेंगे।

जिला कलक्टर,
कोटा

दिनांक: ११.11-2024

क्रमांक: सहायता/बाढ़/2024/1317

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु :-

1. शासन सचिव महोदय, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग जयपुर।
2. सम्भागीय आयुक्त महोदय कोटा सम्भाग कोटा।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद कोटा
4. उपखण्ड अधिकारी इटावा
5. विकास अधिकारी पंचायत समिति इटावा
7. रक्षित प्रति

जिला कलक्टर,
कोटा

Document certified by RAVINDRA GOSWAMI
<ravindra11.goswami@gmail.com>

Digitally Signed by Ravindra
Goswami
Designation: District & District
Magistrate
Date :29-11-2024 04:41:20

कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता), कोटा

क्रमांक: सहायता/बाड/2024/1322

दिनांक 29.11.2024

प्रशासनिक स्वीकृति

मानसून वर्ष 2024 में अत्यधिक वर्षा/बाढ के कारण क्षतिग्रस्त विद्यालय/धिकित्ता/आंगनवाडी/पंचायत भवनों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु पत्रांक 1175 दिनांक 10.10.2024 द्वारा उपखण्ड स्तरीय कमेटी की अनुशंसा सहित प्राप्त प्रस्ताव पर संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर की स्वीकृति क्रमांक एफ-8(28) आ.प्र. एवं सहा. /बाड/प्रस्ताव/2024/12007880 जयपुर दिनांक 26.11.2024 के क्रम में पंचायत समिति खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी के 3 कार्य हेतु राशि रुपये 06.00 लाख की तात्कालिक मरम्मत राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से कराने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	तहसील	क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का प्रकार	क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का नाम	एसडीआरएफ मापदण्डों के अनुसार दर राशि लाखों में	एसडीआरएफ मद से मरम्मत योग्य राशि लाखों में
1	रामगंजमण्डी	सामुदायिक भवन	सामुदायिक भवन देवलीखुर्द	2.00	2.00
2	रामगंजमण्डी	सामुदायिक भवन	सामुदायिक भवन रामनगर में मरम्मत कार्य	2.00	2.00
3	रामगंजमण्डी	सामुदायिक भवन	सामुदायिक भवन मरम्मत कार्य असकली	2.00	2.00
				6.00	6.00

कार्य कराने में निम्न शर्तों की पालना की जावे :-

- उक्त कार्य को करवाने के लिए उपखण्ड स्तरीय कमेटी द्वारा अनुशंसा की है।
- कार्यकारी एजेन्सी की वित्तीय शक्तिया PWD & AR के अनुसार मान्य होगी।
- विभाग द्वारा राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नोर्म्स अनुसार किया है अतः संबंधित विभाग उन दरों से अधिक राशि का उपयोग भवनों की मरम्मत पर न करें।
- उक्त कार्य SDRF/NDRF के नियमों तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी की गये दिशा निर्देशों एवं मापदण्डों की अक्षरशः पालना करते हुए कराया जावे।
- ये सम्पत्तिया जो Defect Liability Period के तहत आती है, उनकी मरम्मत एसडीआरएफ से देय नहीं है।
- कार्य उपखण्ड स्तरीय कमेटी से अनुमत होने आवश्यक है।
- कराये गये कार्यों का भुगतान के लिए इस कार्यालय में बिल प्रस्तुत करने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। इसी वित्तीय वर्ष में भुगतान किया जाना है जिसके लिए समय पर बिल प्रस्तुत करें। अन्यथा वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर भुगतान संबंधित एजेन्सी को अपने विभागीय मद से करना होगा।
- कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व यह सुनिश्चित करले कि उनके पास उपलब्ध राज्य मद में मरम्मत एवं संधारण हेतु प्रावधित राशि का उपयोग लिये जाने के उपरान्त ही एसडीआरएफ मद की राशि को उपयोग में लिया जायेगा।
- कार्यकारी एजेन्सी कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह आश्वासन कर लेवे एसडीआरएफ नोर्म्स के अन्तर्गत Ordinary Repair & Periodical Repair के तहत राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत एवं पुर्नरूद्धार हेतु गणना विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश क्रमांक 8981275 दिनांक 15.07.2024 द्वारा गणना की जावे।

10. कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।
11. स्वीकृति में दर्शित कार्य का व्यय स्वीकृत सीमा में ही किया जावे। उक्त कार्यों को अन्य मद में स्वीकृत नहीं किया जावे।
12. क्षतिग्रस्त कार्यों को आरम्भ करने से पूर्व के एवं कार्य समाप्ति के पश्चात् के फोटोग्राफ लेना आवश्यक है।
13. उक्त स्वीकृति के विरुद्ध क्षतिग्रस्त सम्पत्ति के केवल रिपेयर एवं रेस्टोरेशन के ही कार्य कराये जावे। नया निर्माण कार्य नहीं करवाया जावे।
14. कार्यकारी संस्था उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट बिल के साथ प्रस्तुत करें कि कार्य SDRF के मापदण्डों एवं प्रावधानों के अनुसार ही कराया गया है। तभी इस कार्यालय द्वारा भुगतान किया जावेगा।
15. राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं S.D.R.F. के नोर्स तथा विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार किया जावे।
16. प्रस्तावों में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंसा पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवाया जावे। क्षति का मुख्य कारण बाढ़ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
17. स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि व आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार अल्पकालीन निविदाएँ आमंत्रित कर कार्य कराएँ जा सकेंगे।

जिला कलक्टर,
कोटा

क्रमांक: सहायता/बाढ़/2024/1322

दिनांक: 29.11-2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु :-

1. शासन सचिव महोदय, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग जयपुर ।
2. सम्मानीय आयुक्त महोदय कोटा सम्भाग कोटा।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद कोटा
4. उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी
5. विकास अधिकारी पंचायत समिति खेरबाद
7. रक्षित प्रति

जिला कलक्टर,
कोटा

Document certified by RAVINDRA GOSWAMI
<ravindra11.goswami@gmail.com>

Digitally Signed by Ravindra
Goswami
Designation: Collector & District
Magistrate
Date :29-11-2024 04:40:25

कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता), कोटा

क्रमांक: सहायता/बाढ/2024/1326

दिनांक 23.11.2024

प्रशासनिक स्वीकृति

मानसून वर्ष 2024 में अत्यधिक वर्षा/बाढ के कारण क्षतिग्रस्त विद्यालय/चिकित्सा/आंगनबाडी/पंचायत भवनों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु पत्रांक 1175 दिनांक 10.10.2024 द्वारा उपखण्ड स्तरीय कमेटी की अनुशंसा सहित प्राप्त प्रस्ताव पर संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर की स्वीकृति क्रमांक एफ-8(28) आ प्र. एवं सहा./बाढ/प्रस्ताव/2024/12007880 जयपुर दिनांक 26.11.2024 के क्रम में उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग ब्लाक लाडपुरा तहसील लाडपुरा के 57 कार्य हेतु राशि रुपये 114.00 लाख की तात्कालिक मरम्मत राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से कराने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	तहसील	क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का प्रकार	क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का नाम	एसडीआरएफ मापदण्डों के अनुसार दर राशि लाखों में	एसडीआरएफ मद से मरम्मत योग्य राशि लाखों में
1	लाडपुरा	आंगनबाडी केंद्र (बंद स्कूल)	परलिया की झोपडी	2.00	2.00
2	लाडपुरा	आंगनबाडी केंद्र (विभागीय भवन)	सीमलहेडी	2.00	2.00
3	लाडपुरा	आंगनबाडी केंद्र (विद्यालय)	रानीपुरा	2.00	2.00
4	लाडपुरा	आंगनबाडी केंद्र (विभागीय भवन)	दिपपुरा	2.00	2.00
5	लाडपुरा	आंगनबाडी केंद्र (पुराना पंचायत)	गंदीफली	2.00	2.00
6	लाडपुरा	आंगनबाडी केंद्र (विभागीय भवन)	जाखोडा	2.00	2.00
7	लाडपुरा	आंगनबाडी केंद्र (विद्यालय)	अरंडखेडा 1	2.00	2.00
8	लाडपुरा	आंगनबाडी केंद्र (विद्यालय)	अरंडखेडा 2	2.00	2.00
9	लाडपुरा	आंगनबाडी केंद्र (विद्यालय)	बनियानी 1	2.00	2.00
10	लाडपुरा	आंगनबाडी केंद्र (विभागीय भवन)	बोराबास 2	2.00	2.00
11	लाडपुरा	आंगनबाडी केंद्र (पुराना स्कूल)	कैधून 5	2.00	2.00
12	लाडपुरा	आंगनबाडी केंद्र (विभागीय भवन)	बंघा	2.00	2.00
13	लाडपुरा	आंगनबाडी केंद्र (विद्यालय)	केवन नगर 2	2.00	2.00
14	लाडपुरा	आंगनबाडी केंद्र (विभागीय भवन)	नयागांव	2.00	2.00

15	लाडपुरा	आंगनबाडी केंद्र (विभागीय भवन)	डायरा	2.00	2.00
16	लाडपुरा	आंगनबाडी केंद्र (विभागीय भवन)	बोरखण्डी	2.00	2.00
17	लाडपुरा	आंगनबाडी केंद्र (विभागीय भवन)	मानपुरा 1	2.00	2.00
18	लाडपुरा	आंगनबाडी केंद्र (विधालय)	घाकडखेडी 2	2.00	2.00
19	लाडपुरा	आंगनबाडी केंद्र (पुराना विधालय)	गोदल्याहेडी	2.00	2.00
20	लाडपुरा	आंगनबाडी केंद्र (पुराना सामुदायिक भवन)	मंडानिया	2.00	2.00
21	लाडपुरा	आंगनबाडी केंद्र (विधालय)	छत्रपुरा	2.00	2.00
22	लाडपुरा	आंगनबाडी केंद्र (विभागीय भवन)	आरामपुरा	2.00	2.00
23	लाडपुरा	आंगनबाडी केंद्र (विभागीय भवन)	शम्भूपुरा	2.00	2.00
24	लाडपुरा	आंगनबाडी केंद्र (विभागीय भवन)	किशनपुरा 2	2.00	2.00
25	लाडपुरा	आंगनबाडी केंद्र (विधालय)	मानसगांव	2.00	2.00
26	लाडपुरा	आंगनबाडी केंद्र (विधालय)	अर्जुनपुरा 1	2.00	2.00
27	लाडपुरा	आंगनबाडी केंद्र (विधालय)	बृजेशपुरा	2.00	2.00
28	लाडपुरा	आंगनबाडी केंद्र (विधालय)	नोटाणा	2.00	2.00
29	लाडपुरा	आंगनबाडी केंद्र (विधालय)	झालीपुरा	2.00	2.00
30	लाडपुरा	आंगनबाडी केंद्र (विधालय)	रंगपुर 1	2.00	2.00
31	लाडपुरा	आंगनबाडी केंद्र (विधालय)	गंगायचा	2.00	2.00
32	लाडपुरा	आंगनबाडी केंद्र (अन्य सरकारी भवन)	बावडीखेडा	2.00	2.00
33	लाडपुरा	आंगनबाडी केंद्र (पुराना पटवार घर)	कसार 1	2.00	2.00
34	लाडपुरा	आंगनबाडी केंद्र (विभागीय भवन)	मांदलिया	2.00	2.00
35	लाडपुरा	आंगनबाडी केंद्र (विभागीय भवन)	हनोतिया	2.00	2.00

36	लाडपुरा	आंगनबाडी केंद्र (विभागीय भवन)	गोपालपुरा	2.00	2.00
37	लाडपुरा	आंगनबाडी केंद्र (विभागीय भवन)	रावठा	2.00	2.00
38	लाडपुरा	आंगनबाडी केंद्र (विभागीय भवन)	बनियानी 2	2.00	2.00
39	लाडपुरा	आंगनबाडी केंद्र (विभागीय भवन)	गिरधरपुरा	2.00	2.00
40	लाडपुरा	आंगनबाडी केंद्र (विभागीय भवन)	डोल्या	2.00	2.00
41	लाडपुरा	आंगनबाडी केंद्र (विभागीय भवन)	खेड	2.00	2.00
42	लाडपुरा	आंगनबाडी केंद्र (विभागीय भवन)	भीमपुरा -1	2.00	2.00
43	लाडपुरा	आंगनबाडी केंद्र (विभागीय भवन)	मवासा	2.00	2.00
44	लाडपुरा	आंगनबाडी केंद्र (विभागीय भवन)	रामराजपुरा	2.00	2.00
45	लाडपुरा	आंगनबाडी केंद्र (विभागीय भवन)	किशनपुरा तकिया 3	2.00	2.00
46	लाडपुरा	आंगनबाडी केंद्र (विभागीय भवन)	मण्डाना -1	2.00	2.00
47	लाडपुरा	आंगनबाडी केंद्र (विभागीय भवन)	मण्डाना -2	2.00	2.00
48	लाडपुरा	आंगनबाडी केंद्र (विभागीय भवन)	मण्डाना -3	2.00	2.00
49	लाडपुरा	आंगनबाडी केंद्र (विभागीय भवन)	मण्डाना -4	2.00	2.00
50	लाडपुरा	आंगनबाडी केंद्र (विभागीय भवन)	काल्याखेडी	2.00	2.00
51	लाडपुरा	आंगनबाडी केंद्र (विभागीय भवन)	उम्मेदपुरा	2.00	2.00
52	लाडपुरा	आंगनबाडी केंद्र (विभागीय भवन)	पदमपुरा	2.00	2.00
53	लाडपुरा	आंगनबाडी केंद्र (विभागीय भवन)	भीलोत	2.00	2.00
54	लाडपुरा	आंगनबाडी केंद्र (विभागीय भवन)	कसार -2	2.00	2.00
55	लाडपुरा	आंगनबाडी केंद्र (विभागीय भवन)	रानक्योखेडी	2.00	2.00
56	लाडपुरा	आंगनबाडी केंद्र (विभागीय भवन)	मंवरिया	2.00	2.00
57	लाडपुरा	आंगनबाडी केंद्र (विभागीय भवन)	कोलाना	2.00	2.00

				114.00	114.00
--	--	--	--	--------	--------

कार्य कराने में निम्न शर्तों की पालना की जावे :-

1. उक्त कार्य को करवाने के लिए उपखण्ड स्तरीय कमेटी द्वारा अनुशंसा की है।
2. कार्यकारी एजेन्सी की वित्तीय शक्तिया PWD & AR के अनुसार मान्य होगी।
3. विभाग द्वारा राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नोर्स अनुसार किया है अतः संबंधित विभाग उन दरों से अधिक राशि का उपयोग भवनों की मरम्मत पर न करें।
4. उक्त कार्य SDRF/NDRF के नियमों तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी की गये दिशा निर्देशों एवं मापदण्डों की अक्षरशः पालना करते हुए कराया जावे।
5. ये सम्पत्तिया जो Defect Liability Period के तहत आती है, उनकी मरम्मत एसडीआरएफ से देय नहीं है।
6. कार्य उपखण्ड स्तरीय कमेटी से अनुमत होने आवश्यक है।
7. कराये गये कार्यों का भुगतान के लिए इस कार्यालय में बिल प्रस्तुत करने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। इसी वित्तीय वर्ष में भुगतान किया जाना है जिसके लिए समय पर बिल प्रस्तुत करें। अन्यथा वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर भुगतान संबंधित एजेन्सी को अपने तिमाही मद्र से करना होगा।
8. कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व यह सुनिश्चित करले कि उनके पास उपलब्ध राज्य मद में मरम्मत एवं संधारण हेतु प्रावधित राशि का उपयोग लिये जाने के उपरान्त ही एसडीआरएफ मद की राशि को उपयोग में लिया जायेगा।
9. कार्यकारी एजेन्सी कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह आश्वस्त कर लेवे एसडीआरएफ नोर्स के अन्तर्गत Ordinary Repair & Periodical Repair के तहत राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त सडकों की मरम्मत एवं पुर्नरूद्धार हेतु गणना विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश क्रमांक 8981275 दिनांक 16.07.2024 द्वारा गणना की जाये।
10. कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।
11. स्वीकृति में दर्शित कार्य का व्यय स्वीकृत सीमा में ही किया जावे। उक्त कार्य को अन्य मद में स्वीकृत नहीं किया जावे।
12. क्षतिग्रस्त कार्यों को आरम्भ करने से पूर्व के एवं कार्य समाप्ति के पश्चात् के फोटोग्राफ लेना आवश्यक है।
13. उक्त स्वीकृति के विरुद्ध क्षतिग्रस्त सम्पत्ति के केवल रिपेयर एवं रेस्टोरेशन के ही कार्य कराये जावे। नया निर्माण कार्य नहीं करवाया जावे।
14. कार्यकारी संस्था उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट बिल के साथ प्रस्तुत करें कि कार्य SDRF के मापदण्डों एवं प्रावधानों के अनुसार ही कराया गया है। तभी इस कार्यालय द्वारा भुगतान किया जावेगा।
15. राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं S.D.R.F. के नोर्स तथा विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार किया जावे।
16. प्रस्तावों में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंसा पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवया जावे। क्षति का मुख्य कारण बाढ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
17. स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि व आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार अल्पकालीन निविदाएँ आमंत्रित कर कार्य कराएँ जा सकेंगे।

जिला कलक्टर,
कोटा

क्रमांक: सहायता/बाढ़/2024/ 1326

दिनांक: 23.10-2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु :-

1. शासन सचिव महोदय, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग जयपुर ।
2. सम्भागीय आयुक्त महोदय कोटा सम्भाग कोटा।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद कोटा
4. उपखण्ड अधिकारी कोटा
5. उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग कोटा
7. रक्षित प्रति

जिला कलक्टर,
कोटा

Document certified by RAVINDRA GOSWAMI
ravindra11.goswami@gmail.com>

Digitally Signed by Ravindra
Goswami
Designation: Collector & District
Magistrate
Date :29-11-2024 04:40:45

RajKaj Ref No.: 12096773



कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता), कोटा

क्रमांक: सहायता/बाढ/2024/1327

दिनांक 25.11.2024

प्रशासनिक स्वीकृति

मानसून वर्ष 2024 में अत्यधिक वर्षा/बाढ के कारण क्षतिग्रस्त विद्यालय/चिकित्सा/आंगनबाडी/पंचायत भवनों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु पत्रांक 1175 दिनांक 10.10.2024 द्वारा उपखण्ड स्तरीय कमेटी की अनुशंसा सहित प्राप्त प्रस्ताव पर संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर की स्वीकृति क्रमांक एफ-8(28) आ.प्र. एवं सहा. /बाढ/प्रस्ताव/2024/12007880 जयपुर दिनांक 26.11.2024 के क्रम में उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग ब्लाक कोटा शहर तहसील लाडपुरा के 23 कार्य हेतु राशि रुपये 46.00 लाख की तात्कालिक मरम्मत राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से कराने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	तहसील	क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का प्रकार	क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का स्थान	एसडीआरएफ मापदण्डों के अनुसार दर राशि लाखों में	एसडीआरएफ मद से मरम्मत योग्य राशि लाखों में
1	लाडपुरा	आंगनबाडी केंद्र (विद्यालय)	प्रताप कोलानी	2.00	2.00
2	लाडपुरा	आंगनबाडी केंद्र (विद्यालय)	नेहरू नगर -2	2.00	2.00
3	लाडपुरा	आंगनबाडी केंद्र (विद्यालय)	देवली अरब	2.00	2.00
4	लाडपुरा	आंगनबाडी केंद्र (विद्यालय)	मण्डीपाडा	2.00	2.00
5	लाडपुरा	आंगनबाडी केंद्र (विद्यालय)	खारी बावडी	2.00	2.00
6	लाडपुरा	आंगनबाडी केंद्र (विद्यालय)	साबरमती -2	2.00	2.00
7	लाडपुरा	आंगनबाडी केंद्र (विद्यालय)	लक्की बुर्ज	2.00	2.00
8	लाडपुरा	आंगनबाडी केंद्र (विद्यालय)	चन्द्रघटा -1	2.00	2.00
9	लाडपुरा	आंगनबाडी केंद्र (विद्यालय)	भट्ट जी का घाट	2.00	2.00
10	लाडपुरा	आंगनबाडी केंद्र (विद्यालय)	कंसुआ -1	2.00	2.00
11	लाडपुरा	आंगनबाडी केंद्र (विद्यालय)	प्रेमनगर -2	2.00	2.00
12	लाडपुरा	आंगनबाडी केंद्र (विद्यालय)	रामपुरा -2	2.00	2.00

RajKaj Ref No.: 12096735



13	लाडपुरा	आंगनबाडी केंद्र (विद्यालय)	श्रीराम नगर	2.00	2.00
14	लाडपुरा	आंगनबाडी केंद्र (विद्यालय)	मीट मार्केट	2.00	2.00
15	लाडपुरा	आंगनबाडी केंद्र (विद्यालय)	बंगाली कोलोनी -2	2.00	2.00
16	लाडपुरा	आंगनबाडी केंद्र (विद्यालय)	निसार की मस्जिद	2.00	2.00
17	लाडपुरा	आंगनबाडी केंद्र (विद्यालय)	श्रीपुरा कच्ची बस्ती	2.00	2.00
18	लाडपुरा	आंगनबाडी केंद्र (विद्यालय)	सिन्धी कोलोनी -2	2.00	2.00
19	लाडपुरा	आंगनबाडी केंद्र (विद्यालय)	अनन्तपुरा -1	2.00	2.00
20	लाडपुरा	आंगनबाडी केंद्र (विद्यालय)	गणेश नगर	2.00	2.00
21	लाडपुरा	आंगनबाडी केंद्र (विद्यालय)	विवेकानन्द नगर	2.00	2.00
22	लाडपुरा	आंगनबाडी केंद्र (विद्यालय)	गणेश नगर (दादाबाडी)	2.00	2.00
23	लाडपुरा	आंगनबाडी केंद्र (विद्यालय)	रंगबाडी -2	2.00	2.00
				46.00	46.00

कार्य कराने में निम्न शर्तों की पालना की जावे :-

1. उक्त कार्यो को करवाने के लिए उपखण्ड स्तरीय कमेटी द्वारा अनुशांषा की है।
2. कार्यकारी एजेन्सी की वित्तीय शक्तिया PWD & AR के अनुसार मान्य होगी।
3. विभाग द्वारा राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नोर्स अनुसार किया है अतः संबंधित विभाग उन दरों से अधिक राशि का उपयोग भवनों की मरम्मत पर न करें।
4. उक्त कार्य SDRF/NDRF के नियमों तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी की गये दिशा निर्देशों एवं मापदण्डों की अक्षरशः पालना करते हुए कराया जावे।
5. ये सम्पत्तिया जो Defect Liability Period के तहत आती है, उनकी मरम्मत एसडीआरएफ से देय नहीं है।
6. कार्य उपखण्ड स्तरीय कमेटी से अनुमत होने आवश्यक है।
7. कराये गये कार्यो का भुगतान के लिए इस कार्यालय में बिल प्रस्तुत करने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। इसी वित्तीय वर्ष में भुगतान किया जाना है जिसके लिए समय पर बिल प्रस्तुत करे। अन्यथा वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर भुगतान संबंधित एजेन्सी को अपने विभागीय मद से करना होगा।

8. कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व यह सुनिश्चित करले कि उनके पास उपलब्ध राज्य मद में मरम्मत एवं संधारण हेतु प्रावधित राशि का उपयोग लिये जाने के उपरान्त ही एसडीआरएफ मद की राशि को उपयोग में लिया जायेगा।
9. कार्यकारी एजेन्सी कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह आश्वस्त कर लेवे एसडीआरएफ नोर्म्स के अन्तर्गत Ordinary Repair & Periodical Repair के तहत राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त सडकों की मरम्मत एवं पुनरुद्धार हेतु गणना विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश क्रमांक 8981275 दिनांक 16.07.2024 द्वारा गणना की जायें।
10. कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ में अनुगत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।
11. स्वीकृति में दर्शित कार्य का व्यय स्वीकृत सीमा में ही किया जावे। उक्त कार्यों को अन्य मद में स्वीकृत नहीं किया जावे।
12. क्षतिग्रस्त कार्यों को आरम्भ करने से पूर्व के एवं कार्य समाप्ति के पश्चात् के फोटोग्राफ लेना आवश्यक है।
13. उक्त स्वीकृति के विरुद्ध क्षतिग्रस्त सम्पत्ति के केवल रिपेयर एवं रेस्टोरेशन के ही कार्य कराये जावे। नया निर्माण कार्य नहीं करवाया जावे।
14. कार्यकारी संस्था उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट बिल के साथ प्रस्तुत करें कि कार्य SDRF के मापदण्डों एवं प्रावधानों के अनुसार ही कराया गया है। तमी इस कार्यालय द्वारा भुगतान किया जावेगा।
15. राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं S.D.R.F. के नोर्म्स तथा विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार किया जावे।
16. प्रस्तावों में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंशा पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवया जावे। क्षति का मुख्य कारण बाढ़ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
17. स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि व आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार अल्पकालीन निविदाएँ आमंत्रित कर कार्य कराएँ जा सकेंगे।

जिला कलक्टर,
कोटा

क्रमांक: सहायता/बाढ़/2024/1327

दिनांक: 29.11-2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक काग़वाही हेतु :-

1. शासन सचिव महोदय, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग जयपुर ।
2. सम्मार्गाय आयुक्त महोदय कोटा सम्भाग कोटा।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद कोटा
4. उपखण्ड अधिकारी कोटा
5. उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग कोटा
7. रक्षित प्रति

Document signed by RAVINDRA GOSWAMI
(ravindra11.goswami@gmail.com)
Digitally Signed by Ravindra
Goswami
Designation: Collector & District
Magistrate
Date :29-11-2024 04:41:38

RajKaj Ref No.: 12096735

कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता), कोटा

क्रमांक: सहायता/बाढ़/2024/1328

दिनांक 29.11.2024

प्रशासनिक स्वीकृति

मानसून वर्ष 2024 में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त विद्यालय/शिकित्सा/आंगनवाड़ी/पंचायत भवनों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु पत्रांक 1175 दिनांक 10.10.2024 द्वारा उपखण्ड स्तरीय कमेटी की अनुशंसा सहित प्राप्त प्रस्ताव पर संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर की स्वीकृति क्रमांक एफ-8(28) आ.प्र. एवं सहा./बाढ़/प्रस्ताव/2024/12007880 जयपुर दिनांक 26.11.2024 के क्रम में उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग ब्लाक रामगंजमण्डी तहसील रामगंजमण्डी के 9 कार्य हेतु राशि रुपये 22.50 लाख की तात्कालिक मरम्मत राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से कराने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	तहसील	क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का प्रकार	क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का नाम	एसडीआरएफ मापदण्डों के अनुसार दर राशि लाखों में	एसडीआरएफ मद से मरम्मत योग्य राशि लाखों में
1	रामगंजमण्डी	आंगनवाड़ी केंद्र (विभागीय भवन)	उण्डवा 1	2.50	2.50
2	रामगंजमण्डी	आंगनवाड़ी केंद्र (विभागीय भवन)	घरनावद	2.50	2.50
3	रामगंजमण्डी	आंगनवाड़ी केंद्र (विभागीय भवन)	बुरनखेडी	2.50	2.50
4	रामगंजमण्डी	आंगनवाड़ी केंद्र (विभागीय भवन)	डोडखेडी	2.50	2.50
5	रामगंजमण्डी	आंगनवाड़ी केंद्र (विभागीय भवन)	सनखेडा	2.50	2.50
6	रामगंजमण्डी	आंगनवाड़ी केंद्र (विभागीय भवन)	भीमपुरा	2.50	2.50
7	रामगंजमण्डी	आंगनवाड़ी केंद्र (विभागीय भवन)	मण्डली	2.50	2.50
8	रामगंजमण्डी	आंगनवाड़ी केंद्र (विभागीय भवन)	झिलारा	2.50	2.50
9	रामगंजमण्डी	आंगनवाड़ी केंद्र (विभागीय भवन)	जूल्मी 2	2.50	2.50
				22.50	22.50

कार्य कराने में निम्न शर्तों की पालना की जावे :-

- उक्त कार्य को करवाने के लिए उपखण्ड स्तरीय कमेटी द्वारा अनुशंसा की है।
- कार्यकारी एजेंसी की वित्तीय शक्तिया PWD & AR के अनुसार मान्य होगी।
- विभाग द्वारा राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नोमर्स अनुसार किया है अतः संबंधित विभाग उन दरों से अधिक राशि का उपयोग भवनों की मरम्मत पर न करे
- उक्त कार्य SDRF/NDRF के नियमों तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी की गये दिशा निर्देशों एवं मापदण्डों की अक्षरशः पालना करते हुए कराया जावे।
- ये सम्पत्तिया जो Defect Liability Period के तहत आती है, उनकी मरम्मत एसडीआरएफ से देय नहीं है।

6. कार्य उपखण्ड स्तरीय कमेटी से अनुमत होने आवश्यक है।

7. कराये गये कार्यों का भुगतान के लिए इस कार्यालय में बिल प्रस्तुत करने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जायेगी। इसी वित्तीय वर्ष में भुगतान किया जाना है जिसके लिए समय पर बिल प्रस्तुत करें। अन्यथा वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर भुगतान संबंधित एजेन्सी को अपने विभागीय मद से करना होगा।

8. कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व यह सुनिश्चित करले कि उनके पास उपलब्ध राज्य मद में मरम्मत एवं संभारण हेतु प्रावधित राशि का उपयोग लिये जाने के उपरान्त ही एसडीआरएफ मद की राशि को उपयोग में लिया जायेगा।

9. कार्यकारी एजेन्सी कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह आश्वस्त कर लेये एसडीआरएफ नोर्स के अन्तर्गत Ordinary Repair & Periodical Repair के तहत राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त सडकों की मरम्मत एवं पुर्नरूढ़ार हेतु गणना विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश क्रमांक 8981275 दिनांक 16.07.2024 द्वारा गणना की जायें।

10. कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।

11. स्वीकृति में दर्शित कार्य का व्यय स्वीकृत सीमा में ही किया जावे। उक्त कार्यों को अन्य मद में स्वीकृत नहीं किया जावे।

12. क्षतिग्रस्त कार्यों को आरम्भ करने से पूर्व के एवं कार्य समाप्ति के पश्चात् के फोटोग्राफ लेना आवश्यक है।

13. उक्त स्वीकृति के विरुद्ध क्षतिग्रस्त सम्पत्ति के केवल रिपेयर एवं रेस्टोरेशन के ही कार्य कराये जावे। नया निर्माण कार्य नहीं करवाया जावे।

14. कार्यकारी संस्था उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट बिल के साथ प्रस्तुत करें कि कार्य SDRF के मापदण्डों एवं प्राक्धानों के अनुसार ही कराया गया है। तभी इस कार्यालय द्वारा भुगतान किया जावेगा।

15. राशि का व्यय करने हेतु लोक उपायन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं S.D.R.F. के नोर्स तथा विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार किया जावे।

16. प्रस्तावों में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंसा पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से प्रनामित करवया जावे। क्षति का मुख्य कारण बाढ़ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

17. स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि व आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार अत्यकालीन निविदाएं आमंत्रित कर कार्य कराए जा सकेंगे।

जिला कलक्टर,
कोटा

दिनांक: 11-2024

क्रमांक: सहायता/बाढ़/2024/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. शासन सचिव महोदय, आपदा प्रदन्धन एवं सहायता विभाग जयपुर ।
2. सम्भारगोय आयुक्त महोदय कोटा सम्भाग कोटा।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद कोटा
4. उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी
5. उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग कोटा
7. रक्षित प्रति

Digitally Signed by RAVINDRA GOSWAMI
<ravindra11.goswami@gmail.com>
Digitally Signed by Ravindra
Goswami
Designation: District & District
Magistrate
Date :29-11-2024 04:41:31

कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता), कोटा

क्रमांक: सहायता/बाढ/2024/1325

दिनांक 25.11.2024

प्रशासनिक स्वीकृति

मानसून वर्ष 2024 में अत्यधिक वर्षा/बाढ के कारण क्षतिग्रस्त विद्यालय/चिकित्सा/आंगनबाड़ी/पंचायत भवनों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु पत्रांक 1175 दिनांक 10.10.2024 द्वारा उपखण्ड स्तरीय कमेटी की अनुशंसा सहित प्राप्त प्रस्ताव पर संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर की स्वीकृति क्रमांक एफ-8(28) आ.प्र. एवं सहा. /बाढ/प्रस्ताव/2024/12007880 जयपुर दिनांक 26.11.2024 के क्रम में पंचायत समिति खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी के 6 कार्य हेतु राशि रूपये 12.00 लाख की तात्कालिक मरम्मत राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से कराने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	तहसील	क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का प्रकार	क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का नाम	एसडीआरएफ मापदण्डों के अनुसार दर राशि	एसडीआरएफ मद से मरम्मत योग्य राशि लाखों में
1	रामगंजमण्डी	आंगनबाड़ी केन्द्र	आंगनबाड़ी केन्द्र वार्ड नं० 06 सातलखेड़ी	2.00	2.00
2	रामगंजमण्डी	आंगनबाड़ी केन्द्र	आंगनबाड़ी केन्द्र एसआई कॉलोनी कुम्भकोट	2.00	2.00
3	चेचट	आंगनबाड़ी	आंगनबाड़ी अरलाई	2.00	2.00
4	चेचट	आंगनबाड़ी	आंगनबाड़ी खेडारुधा	2.00	2.00
5	चेचट	आंगनबाड़ी	आंगनबाड़ी मरम्मत फावा	2.00	2.00
6	चेचट	आंगनबाड़ी	आंगनबाड़ी केन्द्र मोडक गाँव	2.00	2.00
	योग			12.00	12.00

कार्य कराने में निम्न शर्तों की पालना की जावे :-

- उक्त कार्यों को करवाने के लिए उपखण्ड स्तरीय कमेटी द्वारा अनुशंसा की है।
- कार्यकारी एजेन्सी की वित्तीय शक्तिया PWD & AR के अनुसार मान्य होगी।
- विभाग द्वारा राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नोर्स अनुसार किया है अतः संबंधित विभाग उन दरों से अधिक राशि का उपयोग भवनों की मरम्मत पर न करें
- उक्त कार्य SDRF/NDRF के नियमों तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी की गये दिशा निर्देशों एवं मापदण्डों की अक्षरशः पालना करते हुए कराया जावे।
- ये सम्पत्तिया जो Defect Liability Period के तहत आती है, उनकी मरम्मत एसडीआरएफ से देय नहीं है।
- कार्य उपखण्ड स्तरीय कमेटी से अनुमत होने आवश्यक है।
- कराये गये कार्यों का भुगतान के लिए इस कार्यालय में बिल प्रस्तुत करने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। इसी वित्तीय वर्ष में भुगतान किया जाना है जिसके लिए समय पर बिल प्रस्तुत करें। अन्यथा वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर भुगतान संबंधित एजेन्सी को अपने विभागीय मद से करना होगा।
- कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व यह सुनिश्चित करले कि उनके पास उपलब्ध राज्य मद में मरम्मत एवं संधारण हेतु प्रावधित राशि का उपयोग लिये जाने के उपरान्त ही एसडीआरएफ मद की राशि को उपयोग में लिया जायेगा।

9. कार्यकारी एजेन्सी कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह आश्वस्त कर लेवे एसडीआरएफ नोर्स के अन्तर्गत Ordinary Repair & Periodical Repair के तहत राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत एवं पुर्नरूद्धार हेतु गणना विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश क्रमांक 8981275 दिनांक 16.07.2024 द्वारा गणना की जायें।

10. कार्यकारी एजेन्सी को यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।

11. स्वीकृति में दर्शित कार्य का व्यय स्वीकृत सीमा में ही किया जावे। उक्त कार्यों को अन्य मद में स्वीकृत नहीं किया जावे।

12. क्षतिग्रस्त कार्यों को आरम्भ करने से पूर्व के एवं कार्य समाप्ति के पश्चात् के फोटोग्राफ लेना आवश्यक है।

13. उक्त स्वीकृति के विरुद्ध क्षतिग्रस्त सम्पत्ति के केवल रिपेयर एवं रेस्टोरेशन के ही कार्य कराये जावे। नया निर्माण कार्य नहीं करवाया जावे।

14. कार्यकारी संस्था उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट बिल के साथ प्रस्तुत करें कि कार्य SDRF के मापदण्डों एवं प्रावधानों के अनुसार ही कराया गया है। तमी इस कार्यालय द्वारा भुगतान किया जावेगा।

15. राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं S.D.R.F. के नोर्स तथा विभाग द्वारा स्तय स्तय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार किया जावे।

16. प्रस्तावों में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुरांषा पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवया जावे। क्षति का मुख्य कारण बाढ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

17. स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि व आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार अल्पकालीन निविदाएँ आमंत्रित कर कार्य च्पारें जा सकेंगे।

जिला कलक्टर,
कोटा

क्रमांक: सहायता/बाढ/2024/ 1323

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु :-

1. शासन सचिव महोदय, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग जयपुर।
2. सम्मार्गीय आयुक्त महोदय कोटा सम्भाग कोटा।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद कोटा।
4. उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डली।
5. विकास अधिकारी पंचायत समिति खंराबाद।
7. रचित प्रति।

दिनांक: 29.11-2024

जिला कलक्टर,
कोटा

Document certified by RAVINDRA GOSWAMI
<ravindra11.goswami@gmail.com>

Digitally Signed by Ravindra
Goswami
Designation: District Collector & District
Magistrate
Date: 29-11-2024 04:41:56

कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता), कोटा

क्रमांक: सहायता/बाढ/2024/133

दिनांक 23.11.2024

प्रशासनिक स्वीकृति

मानसून वर्ष 2024 में अत्यधिक वर्षा/बाढ के कारण क्षतिग्रस्त विद्यालय/चिकित्सा/आंगनवाडी/पंचायत भवनों की तात्कालिक अस्थायी मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु पत्रांक 1175 दिनांक 10.10.2024 द्वारा उपखण्ड स्तरीय कमेटी की अनुशंघा सहित प्राप्त प्रस्ताव पर संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर की स्वीकृति क्रमांक एफ-8(28) आ.प्र. एवं सहा /बाढ/प्रस्ताव/2024/120078800 जयपुर दिनांक 26.11.2024 के क्रम में पंचायत समिति इटावा तहसील पीपल्दा के 34 कार्य हेतु राशि रूपये 68.00 लाख की तात्कालिक मरम्मत राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से कराने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन एतद द्वारा प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	तहसील	क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का प्रकार	क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का नाम	एसडीआरएफ मापदण्डों के अनुसार दर राशि लाखों में	एसडीआरएफ मद से मरम्मत योग्य राशि लाखों में
1	पीपल्दा	आंगनवाडी	आंगनवाडी केन्द्र किशनवास	2.00	2.00
2	पीपल्दा	आंगनवाडी	आंगनवाडी केन्द्र शहनावदा	2.00	2.00
3	पीपल्दा	आंगनवाडी	आंगनवाडी केन्द्र गैता -1	2.00	2.00
4	पीपल्दा	आंगनवाडी	आंगनवाडी केन्द्र नीमसरा	2.00	2.00
5	पीपल्दा	आंगनवाडी	आंगनवाडी केन्द्र बम्बूलिया -1	2.00	2.00
6	पीपल्दा	आंगनवाडी	आंगनवाडी केन्द्र बम्बूलिया -2	2.00	2.00
7	पीपल्दा	आंगनवाडी	आंगनवाडी केन्द्र मिठोद	2.00	2.00
8	पीपल्दा	आंगनवाडी	आंगनवाडी केन्द्र दुर्जनपुरा	2.00	2.00
9	पीपल्दा	आंगनवाडी	आंगनवाडी केन्द्र नलावता	2.00	2.00
10	पीपल्दा	आंगनवाडी	आंगनवाडी केन्द्र दिनायका -1	2.00	2.00
11	पीपल्दा	आंगनवाडी	आंगनवाडी केन्द्र मुर्गेना	2.00	2.00
12	पीपल्दा	आंगनवाडी	आंगनवाडी केन्द्र कालीसिंघ डीपरी	2.00	2.00
13	पीपल्दा	आंगनवाडी	आंगनवाडी केन्द्र खेडली महाराजा	2.00	2.00
14	पीपल्दा	आंगनवाडी	आंगनवाडी केन्द्र जलोदा खातियान-1	2.00	2.00
15	पीपल्दा	आंगनवाडी	आंगनवाडी केन्द्र डूंगरली	2.00	2.00

16	पीपल्दा	आंगनवाड़ी	आंगनवाड़ी केन्द्र च्यावदा	2.00	2.00
17	पीपल्दा	आंगनवाड़ी	आंगनवाड़ी केन्द्र मरझाना	2.00	2.00
18	पीपल्दा	आंगनवाड़ी	आंगनवाड़ी केन्द्र मियाणा	2.00	2.00
19	पीपल्दा	आंगनवाड़ी	आंगनवाड़ी केन्द्र वैजपुर	2.00	2.00
20	पीपल्दा	आंगनवाड़ी	आंगनवाड़ी केन्द्र गणेशगंज-2	2.00	2.00
21	पीपल्दा	आंगनवाड़ी	आंगनवाड़ी केन्द्र झाडोल	2.00	2.00
22	पीपल्दा	आंगनवाड़ी	आंगनवाड़ी केन्द्र नोनेरा-1	2.00	2.00
23	पीपल्दा	आंगनवाड़ी	आंगनवाड़ी केन्द्र नोनेरा-2	2.00	2.00
24	पीपल्दा	आंगनवाड़ी	आंगनवाड़ी केन्द्र करवाड-3	2.00	2.00
25	पीपल्दा	आंगनवाड़ी	आंगनवाड़ी केन्द्र टीपरी चम्बल -1	2.00	2.00
26	पीपल्दा	आंगनवाड़ी	आंगनवाड़ी केन्द्र टीपरी चम्बल -2	2.00	2.00
27	पीपल्दा	आंगनवाड़ी	आंगनवाड़ी केन्द्र केशोपुरा	2.00	2.00
28	पीपल्दा	आंगनवाड़ी	आंगनवाड़ी केन्द्र फतेहपुरा	2.00	2.00
29	पीपल्दा	आंगनवाड़ी	आंगनवाड़ी केन्द्र खातीली - 4	2.00	2.00
30	पीपल्दा	आंगनवाड़ी	आंगनवाड़ी केन्द्र बैरवा बस्ती अयाना	2.00	2.00
31	पीपल्दा	आंगनवाड़ी	आंगनवाड़ी केन्द्र प्रेमपुरा	2.00	2.00
32	पीपल्दा	आंगनवाड़ी	आंगनवाड़ी केन्द्र कांकरा	2.00	2.00
33	पीपल्दा	आंगनवाड़ी	आंगनवाड़ी केन्द्र उदयपुरिया	2.00	2.00
34	पीपल्दा	आंगनवाड़ी	आंगनवाड़ी केन्द्र पीपल्दा-4	2.00	2.00
	योग			68.00	68.00

कार्य कराने में निम्न शर्तों की पालना की जावे :-

1. सक्त कार्यों को करवाने के लिए उपखण्ड स्तरीय कमेटी द्वारा अनुसंधान की है।
2. कार्यकारी एजेंसी की वित्तीय शक्तिया PWD & AR के अनुसार मान्य होगी।

3. विभाग द्वारा राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नोर्स अनुसार किया है अतः संबंधित विभाग उन दरों से अधिक राशि का उपयोग भवनों की मरम्मत पर न करें
4. उक्त कार्य SDRF/NDRF के नियमों तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी की गये दिशा निर्देशों एवं मापदण्डों की अक्षरशः पालना करते हुए कराया जावे।
5. ये सम्पत्तिया जो Defect Liability Period के तहत आती है, उनकी मरम्मत एसडीआरएफ से देय नहीं है।
6. कार्य उपखण्ड स्तरीय कमेटी से अनुमत होने आवश्यक है।
7. कराये गये कार्यों का भुगतान के लिए इस कार्यालय में बिल प्रस्तुत करने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। इसी वित्तीय वर्ष में भुगतान किया जाना है जिसके लिए समय पर बिल प्रस्तुत करें। अन्यथा वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर भुगतान संबंधित एजेन्सी को अपने विभागीय मद से करना होगा।
8. कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व यह सुनिश्चित करले कि उनके पास उपलब्ध राज्य मद में मरम्मत एवं संधारण हेतु प्रावधित राशि का उपयोग लिये जाने के उपरान्त ही एसडीआरएफ मद की राशि को उपयोग में लिया जायेगा।
9. कार्यकारी एजेन्सी कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह आखस्ता कर लेवे एसडीआरएफ नोर्स के अन्तर्गत Ordinary Repair & Periodical Repair के तहत राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त सडकों की मरम्मत एवं पुनरुद्धार हेतु गणना विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश क्रमांक 8981275 दिनांक 16.07.2024 द्वारा गणना की जायें।
10. कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।
11. स्वीकृति में दर्शित कार्य का व्यय स्वीकृत सीमा में ही किया जावे। उक्त कार्यों को अन्य मद में स्वीकृत नहीं किया जावे।
12. क्षतिग्रस्त कार्यों को आरम्भ करने से पूर्व के एवं कार्य समाप्ति के पश्चात् के फोटोग्राफ लेना आवश्यक है।
13. उक्त स्वीकृति के विरुद्ध क्षतिग्रस्त सम्पत्ति के केवल रिपेयर एवं रेस्टोरेशन के ही कार्य कराये जावे। नया निर्माण कार्य नहीं करवाया जावे।
14. कार्यकारी संस्था उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट बिल के साथ प्रस्तुत करें कि कार्य SDRF के मापदण्डों एवं प्राक्धानों के अनुसार ही कराया गया है। तभी इस कार्यालय द्वारा भुगतान किया जावेगा।
15. राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं S.D.R.F. के नोर्स तथा विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार किया जावे।
16. प्रस्तावों में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंषा पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवया जावे। क्षति का मुख्य कारण बाढ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
17. स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि व आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार अल्पकालीन निविदाएँ आमंत्रित कर कार्य कराए जा सकेंगे।

जिला कलक्टर,
कोटा

दिनांक: 29-11-2024

क्रमांक: सहायता/बाढ/2024/ 1330

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक काग्रवाही हेतु :-

1. शासन सचिव महोदय, आपदा प्रवन्धन एवं सहायता विभाग जयपुर।
2. सम्भागीय आयुक्त महोदय कोटा सम्भाग कोटा।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद कोटा
4. उपखण्ड अधिकारी इटावा
5. विकास अधिकारी पंचायत समिति इटावा

कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता), कोटा

क्रमांक: सहायता/बाद/2024/1321

दिनांक 29.11.2024

प्रशासनिक स्वीकृति

मानसून वर्ष 2024 में अत्यधिक वर्षा/बाद के कारण क्षतिग्रस्त विद्यालय/चिकित्सा/आंगनवाडी/पंचायत भवनों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु पत्रांक 1175 दिनांक 10.10.2024 द्वारा उपखण्ड स्तरीय कमेटी की अनुशंसा सहित प्राप्त प्रस्ताव पर संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर की स्वीकृति क्रमांक एफ-8(28) आ.प्र. एवं सहा. /बाद/प्रस्ताव/2024/12007880 जयपुर दिनांक 26.11.2024 के क्रम में कार्यालय पंचायत समिति खैराबाद एवं पंचायत समिति इटावा के चिकित्सा विभाग के 2 कार्य हेतु राशि रुपये 4.00 लाख की तात्कालिक मरम्मत राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से कराने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	तहसील	क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का प्रकार	क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का नाम	एसडीआरएफ मापदण्डों के अनुसार दर राशि लाखों में	एसडीआरएफ मद से मरम्मत योग्य राशि लाखों में
1	चेचट	स्वास्थ्य केन्द्र	आयुर्वेदिक अस्पताल खेडारुघा	2.00	2.00
2	पीपल्दा	स्वास्थ्य केन्द्र	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अयाना	2.00	2.00
		योग		4.00	4.00

कार्य कराने में निम्न शर्तों की पालना की जावे :-

- उक्त कार्यों को करवाने के लिए उपखण्ड स्तरीय कमेटी द्वारा अनुशंसा की है।
- कार्यकारी एजेन्सी की वित्तीय क्षमता PWD & AR के अनुसार मान्य होगी।
- विभाग द्वारा राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नोर्स अनुसार किया है अतः संबंधित विभाग उन दरों से अधिक राशि का उपयोग भवनों की मरम्मत पर न करें
- उक्त कार्य SDRF/NDRF के नियमों तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी की गये दिशा निर्देशों एवं मापदण्डों की अक्षरशः पालना करते हुए कराया जावे।
- यें सम्पत्तिया जो Defect Liability Period के तहत आती है, उनकी मरम्मत एसडीआरएफ से देय नहीं है।
- कार्य उपखण्ड स्तरीय कमेटी से अनुमत होने आवश्यक है।
- कराये गये कार्यों का भुगतान के लिए इस कार्यालय में बिल प्रस्तुत करने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। इसी वित्तीय वर्ष में भुगतान किया जाना है जिसके लिए समय पर बिल प्रस्तुत करें। अन्यथा वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर भुगतान संबंधित एजेन्सी को अपने विभागीय मद से करना होगा।
- कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व यह सुनिश्चित करले कि उनके पास उपलब्ध राज्य मद में मरम्मत एवं संधारण हेतु प्रावधित राशि का उपयोग लिये जाने के उपरान्त ही एसडीआरएफ मद की राशि को उपयोग में लिया जायेगा।
- कार्यकारी एजेन्सी कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह आश्वस्त कर लेवे एसडीआरएफ नोर्स के अन्तर्गत Ordinary Repair & Periodical Repair के तहत राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत एवं पुनरूद्धार हेतु गणना विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश क्रमांक 8981275 दिनांक 16.07.2024 द्वारा गणना की जायें।

10. कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।
11. स्वीकृति में दर्शित कार्य का व्यय स्वीकृत सीमा में ही किया जावे। उक्त कार्यो को अन्य मद में स्वीकृत नहीं किया जावे।
12. क्षतिग्रस्त कार्यो को आरम्भ करने से पूर्व के एवं कार्य समाप्ति के पश्चात् के फोटोग्राफ लेना आवश्यक है।
13. उक्त स्वीकृति के विरुद्ध क्षतिग्रस्त सम्पत्ति के केवल रिपेयर एवं रेस्टोरेशन के ही कार्य कराये जावे। नया निर्माण कार्य नहीं करवाया जावे।
14. कार्यकारी संस्था उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट बिल के साथ प्रस्तुत करें कि कार्य SDRF के मापदण्डों एवं प्रावधानों के अनुसार ही कराया गया है। तभी इस कार्यालय द्वारा भुगतान किया जावेगा।
15. राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं S.D.R.F. के नोर्म्स तथा विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार किया जावे।
16. प्रस्तावों में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंसा पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवया जावे। क्षति का मुख्य कारण बाढ़ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
17. स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि व आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार अल्पकालीन निविदाएँ आमंत्रित कर कार्य कराएँ जा सकेंगे।

जिला कलक्टर,
कोटा

क्रमांक: सहायता/बाढ़/2024/ 1321

दिनांक: 29.11-2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक काग़वाही हेतु :-

1. शासन सचिव महोदय, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग जयपुर ।
2. सम्भागीय आयुक्त महोदय कोटा सम्भाग कोटा।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद कोटा
4. उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी
5. मुख्त चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा
6. विकास अधिकारी पंचायत समिति खेराबाद/ इटावा
7. रक्षित प्रति

जिला कलक्टर,
कोटा

Document certified by RAVINDRA GOSWAMI
<ravindra11.goswami@gmail.com>

Digitally Signed by Ravindra
Goswami
Designation : Collector & District
Magistrate
Date :29-11-2024 04:40:39